

## पी० पी० ओ० पुनरीक्षण विवरण

क्रम सं०	नाम	पदनाम	कोषागार	पत्रावली सं०	पी० पी० ओ० डिस्पैच संख्या एवं दि०		कोषागार को प्रेषित पत्र सं० एवं दि०	
					संख्या	दिनांक	संख्या	दिनांक
1	श्री भरत सिंह	सहायक अभियन्ता	वाराणसी	9490	7314	15.02.2019	9089	16.02.2019
2	श्रीमती उर्मिला तिवारी पत्नी स्व० अनन्त राम तिवारी	लेखाकार	लखनऊ	7869	7332	16.02.2019	9107	17.02.2019
3	श्री बहादुर सिंह	अधीक्षण अभियन्ता	अलीगढ़	7842	7421	14.02.2019	9231	15.02.2019
4	श्रीमती राधा मटनागर पत्नी स्व० राकेश मटनागर	सहायक लेखाधिकारी	मेरठ	12653	8013	01.03.2019	10551	25.03.2019
5	श्री राकेश शर्मा	सहायक अभियन्ता	सम्भल	12652	8014	01.03.2019	10552	25.03.2019
6	श्री शाह अफसर हुसैन	सहायक अभियन्ता	लखनऊ	12363	8015	01.03.2019	10553	25.03.2019
7	श्री राजपाल अग्रवाल	अधिसासी अभियन्ता	मेरठ	12536	8016	01.03.2019	10328	15.03.2019
8	श्री सुधा सिन्हा	सहायक समीक्षा अधिकारी	लखनऊ	9213	8017	01.03.2019	10330	15.03.2019
9	श्रीमती अंजुलि पत्नी स्व० विजय कुमार	अधिसासी अभियन्ता	लखनऊ	12362	8018	01.03.2019	10332	15.03.2019
10	श्री अशोक कुमार शर्मा	समीक्षा अधिकारी	लखनऊ	12641	8019	01.03.2019	10336	15.03.2019
11	श्री गनेशी लाल	अधिसासी अभियन्ता	आगरा	12624	8020	01.03.2019	10333	15.03.2019
12	श्री मुख्तारुज्जमाँ खान	अधिसासी अभियन्ता	लखनऊ	12630	8021	01.03.2019	10324	15.03.2019
13	श्री लाल बहादुर	अधिसासी अभियन्ता	लखनऊ	11403	8023	01.03.2019	10331	15.03.2019
14	श्री योगेन्द्र कुमार	अधिसासी अभियन्ता	मेरठ	12625	8024	01.03.2019	10335	15.03.2019
15	श्री ओम प्रकाश खरे	लेखाधिकारी	वाराणसी	6625	8025	01.03.2019	10557	25.03.2019
16	श्रीमती मन्जूलता पत्नी स्व० नूतन कुमार	अधिसासी अभियन्ता	गोरखपुर	11271	8026	01.03.2019	10559	25.03.2019
17	श्री परवेज आलम	अधीक्षण अभियन्ता	लखनऊ	12916	8027	01.03.2019	10560	25.03.2019
18	श्री रमेन्द्र नाथ पाल	अधीक्षण अभियन्ता	गौतमबुद्धनगर	8415	8028	01.03.2019	10607	25.03.2019
19	श्री शिव प्रसाद	लेखाधिकारी	बस्ती	8152	8029	01.03.2019	10542	25.03.2019
20	श्री कृष्ण नारायण पाण्डेय	सहायक अभियन्ता	प्रयागराज	12587	8031	01.03.2019	10543	25.03.2019
21	श्रीमती बीना सिंह पत्नी स्व० धर्मवीर सिंह	सहायक अभियन्ता	सहारनपुर	7927	8032	01.03.2019	10544	25.03.2019
22	श्रीमती रेनु पाण्डेय पत्नी स्व० गोपाल किशोर पाण्डेय	अधिसासी अभियन्ता	लखनऊ	12393	8033	01.03.2019	10338	15.03.2019

23	श्री अमरजीत सिंह	अधीक्षण अभियन्ता	गौतमबुद्धनगर	12533	8034	01.03.2019	10334	15.03.2019
24	श्री वीर सेन यादव	सहायक अभियन्ता	गाजियाबाद	8107	8035	01.03.2019	10337	15.03.2019
25	श्री योगेश्वर शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता	गाजियाबाद	12534	8036	01.03.2019	10327	15.03.2019
26	श्री कमर जहाँ पत्नी स्व० सैय्यद अख्तर हुसैन रिजवी	अधिशारी अभियन्ता	गौतमबुद्धनगर	12648	8037	01.03.2019	10329	15.03.2019
27	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय	सहायक अभियन्ता	चन्दौली	12741	8067	01.03.2019	9520	01.03.2019
28	मनकामेश्वर नाथ	सहायक अभियन्ता	आगरा	12727	8069	01.03.2019	9522	01.03.2019
29	श्री नरेश चन्द्र त्रिपाठी	अधीक्षण अभियन्ता	लखनऊ	12764	8070	01.03.2019	9523	01.03.2019
30	श्रीमती अलका पाल पत्नी स्व० ओम प्रकाश पाल	अनुसेवक	लखनऊ	12766	8071	01.03.2019	9524	01.03.2019
31	श्री सीधा देवी पत्नी स्व० शम्भू शरण तिवारी	सहायक अभियन्ता	वाराणसी	7675	8073	02.03.2019	9602	02.03.2019
32	श्रीमती ताहिरा हसनैन पत्नी स्व० नफीसुल हसनैन	अधीक्षण अभियन्ता	लखनऊ	6187	8074	02.03.2019	9507	02.03.2019
33	श्री सन्त बक्श मौर्य	मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम	मेरठ	8246	8081	01.03.2019	9514	02.03.2019
34	श्री सन्तोष कुमार	सहायक अभियन्ता	मथुरा	11641	8085	01.03.2019	9527	01.03.2019
35	श्री सत्येन्द्र कुमार मित्तल	सहा० लेखाधिकारी	मेरठ	11963	8086	01.03.2019	9528	01.03.2019
36	श्री नीलाम्बुज तिवारी	प्रशासनिक अधिकारी	लखनऊ	12631	8087	01.03.2019	9529	01.03.2019
37	श्री लाल सिंह	लेखाधिकारी	बुलन्दशहर	12622	8088	01.03.2019	9530	01.03.2019
38	श्री शिवराज सिंह	अधिशारी अभियन्ता	आगरा	12744	8089	01.03.2019	9531	01.03.2019
39	श्री मदन कुमार	मुख्य अभियन्ता	गाजियाबाद	6500	8091	01.03.2019	9535	02.03.2019
40	श्रीमती शेफाली बनर्जी पत्नी स्व० मोलानाथ बनर्जी	सहायक अभियन्ता	लखनऊ	8504	8093	01.03.2019	9537	02.03.2019
41	श्री आनन्द सिंह	सहायक अभियन्ता	मुरादाबाद	12729	8097	01.03.2019	9656	05.03.2019
42	श्री विजय प्रताप पाण्डेय	लेखाधिकारी	गोरखपुर	10029	8098	01.03.2019	9542	02.03.2019
43	श्री पुरुषोत्तम दत्त तिवारी	सहायक अभियन्ता	सोनभद्र	12733	8099	01.03.2019	9543	01.03.2019
44	श्री राजेन्द्र सिंह	सहायक अभियन्ता	अलीगढ़	12775	8100	01.03.2019	9524	01.03.2019
45	श्री तकी हसन खान	सहा०बैकि०अधि०	लखनऊ	12776	8101	01.03.2019	9545	01.03.2019
46	श्री अरुण	मुख्य अभियन्ता-प्रथम	लखनऊ	11180	8102	01.03.2019	9547	02.03.2019
47	श्री प्रहलाद कुमार	अधिशारी अभियन्ता	मेरठ	10118	8109	01.03.2019	9554	02.03.2019
48	श्री राम बाबू अग्रवाल	सहायक अभियन्ता	बरेली	11034	8110	02.03.2019	9555	02.03.2019
49	श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता	मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम	लखनऊ।	6440	8111	02.03.2019	9607	05.03.2019

50	श्री ओंकार चन्द्र श्रीवास्तव	सहायक अभियंता	लखीमपुर	8286	8112	02.03.2019	9608	05.03.2019
51	श्रीमती मन्जीत सिंह कौर पत्नी स्व० रघुविन्दर सिंह	अधीक्षण अभियंता	कानपुर	8282	8113	02.03.2019	9609	05.03.2019
52	श्री भगवत प्रसाद सिंह	मुख्य अभियंता	लखनऊ	8273	8114	02.03.2019	9610	05.03.2019
53	श्री शरद चन्द्र शर्मा	सहायक अभियंता	अलीगढ़	8274	8115	02.03.2019	9611	05.03.2019
54	श्री जैनेन्द्र कुमार सिंह	अधिसासी अभियन्ता	आगरा।	8278	8116	02.03.2019	9612	05.03.2019
55	प्रतिमा देवी करगेती पत्नी स्व० उमेश चन्द्र करगेती	प्रशासनिक अधिकारी	बरेली	8279	8117	02.03.2019	9613	05.03.2019
56	श्री अश्विनी कुमार खन्ना	अधिसासी अभियन्ता	सहारनपुर	8329	8118	02.03.2019	9614	05.03.2019
57	श्री विनोद कुमार शुक्ल	मुख्य महाप्रबन्धक	लखनऊ।	8331	8119	02.03.2019	9615	05.03.2019
58	श्रीमती वीरमती गुप्ता पत्नी स्व० कृष्ण मुरारी	सहा० लेखाधिकारी	इटावा	8319	8120	02.03.2019	9616	05.03.2019
59	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा	महाप्रबन्धक	लखनऊ	9776	8121	02.03.2019	9597	05.03.2019
60	श्रीमती सुधा रानी शर्मा पत्नी स्व० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	लेखाकार	हापुड़	6488	8122	02.03.2019	9598	05.03.2019
61	श्री हरी सिंह वर्मा	लेखाकार	अलीगढ़	8982	8123	02.03.2019	9599	05.03.2019
62	श्रीमती श्रीवास्तव पत्नी स्व० हर प्रसाद श्रीवास्तव	लेखाकार	लखनऊ	6513	8124	02.03.2019	9600	05.03.2019
63	श्री कनयो कुंगवानी	सहायक अभियंता	कानपुर	12815	8125	02.03.2019	9601	05.03.2019
64	श्री कौशल कुमार अग्रवाल	सहायक अभियंता	हरिद्वार	6422	8126	02.03.2019	9602	05.03.2019
65	श्री ब्रजमोहन गौड़	सहायक अभियंता	लखनऊ	12902	8127	02.03.2019	9603	05.03.2019
66	श्री राम विनोद शर्मा	लेखाकार	बरेली	12804	8128	02.03.2019	9604	05.03.2019
67	श्री अहमद शेर	ऐशमैन कम कोलमैन	लखनऊ	12906	8129	02.03.2019	9605	05.03.2019
68	श्री शकील उज्जमा सफवी	सहायक अभियंता	लखनऊ	12896	8130	02.03.2019	9606	05.03.2019
69	श्री चन्द्र कुमार गुप्ता	मुख्य अभियंतास्तर-द्वितीय	लखनऊ	11754	8131	02.03.2019	9618	02.03.2019
70	श्री विक्रम कुमार	अधीक्षण अभियंता	लखनऊ	12549	8132	02.03.2019	9619	02.03.2019
71	श्री गिरीश प्रसाद सिंह	अधिसासी अभियन्ता	लखनऊ	12545	8133	02.03.2019	9620	02.03.2019
72	श्री सनाउल्ला फारुकी	समीक्षा अधिकारी	लखनऊ	12576	8134	02.03.2019	9621	02.03.2019
73	श्रीमती उपमा चित्रांशी पत्नी स्व० युगुल किशोर चित्रांशी	सहायक अभियंता	लखनऊ	12544	8135	02.03.2019	9622	02.03.2019
74	श्रीमती इन्द्र कुमारी मोघा पत्नी स्व० रामरक्ष पाल मोघा	सहा० लेखाकार	सहारनपुर	6190	8136	02.03.2019	9623	03.03.2019
75	श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व० इन्द्र देव राम	सहायक अभियंता	फैजाबाद	10860	8138	02.03.2019	9625	03.03.2019
76	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	लेखाकार	लखनऊ	10851	8139	02.03.2019	9626	03.03.2019

77	श्रीमती सध्या रानी पत्नी स्व० वीरेन्द्र कुमार वैश्य	अधिकासी अभियन्ता	बरेली	10857	8140	02.03.2019	9627	03.03.2019
78	श्री वेद प्रकाश वर्मा	सहायक अभियन्ता	मुजफ्फरनगर	9984	8142	02.03.2019	9628	03.03.2019
79	श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता	सहायक अभियन्ता	सोनमद	9912	8143	02.03.2019	9629	03.03.2019
80	श्री श्रीश चन्द्र दुबे	अधिकासी अभियन्ता	लखनऊ	8838	8144	02.03.2019	9630	03.03.2019
81	श्रीमती शशी अग्रवाल पत्नी स्व० देवेन्द्र कुमार अग्रवाल	मुख्य महाप्रबन्धक	मेरठ	10135	8145	02.03.2019	9631	03.03.2019
82	श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता	सहा०लेखअधिकारी	आगरा	10853	8146	02.03.2019	9632	03.03.2019
83	श्री जय प्रकाश शर्मा	मुख्य अभियन्ता स्तर-2	गाजियाबाद	8475	8148	02.03.2019	9634	03.03.2019
84	श्री राम सुरेश मिश्रा	सहायक अभियन्ता	प्रयागराज	12903	8149	02.03.2019	9635	03.03.2019
85	श्री संजीवन लाल सोनकर	सहायक लेखाकार	उन्नाव	12850	8150	02.03.2019	9635-ए०	03.03.2019
86	श्री सौरभ	अधीक्षण अभियन्ता	लखनऊ	12851	8151	02.03.2019	9636	03.03.2019
87	श्री प्रदीप कुमार मित्तल	अधीक्षण अभियन्ता	लखनऊ	13087	8152	02.03.2019	9637	02.03.2019
88	श्रीमती आशा पाण्डेय पत्नी स्व० दिलीप कुमार पाण्डेय	अधिकासी अभियन्ता	आजमगढ़	12724	8158	02.03.2019	9643	02.03.2019
89	श्री राम केवल	फैरोबाय	लखनऊ	12723	8159	02.03.2019	9644	02.03.2019
90	श्री सुरेश चन्द्र	सहायक अभियन्ता	लखनऊ	12734	8160	02.03.2019	9645	02.03.2019
91	श्रीमती नारायण देवी	चपरासी	लखनऊ	12754	8161	02.03.2019	9646	02.03.2019
92	श्री कामता प्रसाद	अधिकासी अभियन्ता	लखनऊ	12716	8162	02.03.2019	9647	02.03.2019
93	श्री विकास दत्त त्रिपाठी	लेखाकार	लखनऊ	12722	8163	02.03.2019	9648	02.03.2019
94	श्रीमती मीरा अग्रवाल पत्नी स्व० राजीव अग्रवाल	सहायक अभियन्ता	गौतमबुद्धनगर	12725	8164	02.03.2019	9649	02.03.2019
95	श्री सत्येन्द्र कुमार राजपूत	अधिकासी अभियन्ता	गाजियाबाद	12670	8165	02.03.2019	9650	02.03.2019
96	श्री गोपाल मोहन खरे	अधिकासी अभियन्ता	लखनऊ	12665	8166	02.03.2019	9651	03.03.2019
97	श्री महेश कुमार	अधिकासी अभियन्ता	लखनऊ	12783	8167	05.03.2019	9652	05.03.2019
98	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	अनुसेवक	लखनऊ	12797	8168	05.03.2019	9653	05.03.2019
99	श्री कल्लू राम	चपरासी	लखनऊ	12682	8169	05.03.2019	9652	05.03.2019
100	श्री चन्द्रमान	अधिकासी अभियन्ता	लखनऊ	12681	8170	05.03.2019	9655	06.03.2019
101	श्री राम रतन सोलंकी	सहायक अभियन्ता	कानपुर	12678	8171	05.03.2019	9658	06.03.2019
102	श्री कदीर अहमद	सहायक अभियन्ता	शाहजहाँपुर	13142	8176	02.03.2019	10231	14.03.2019
103	श्री गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता	वाराणसी	7543	8180	02.03.2019	10601	25.03.2019

104	श्रीमती मिथिलेश शर्मा पत्नी स्व० यादराम शर्मा	सहायक अभियन्ता	लखनऊ	9223	8196	02.03.2019	10274	15.03.2019
105	श्रीमती आनन्द कुमार पाठक पत्नी स्व० गजेश शंकर पाठक	लेखाकार	अलीगढ़	12604	8200	02.03.2019	10268	15.03.2019
106	श्री अखिलेश कुमार	सहायक अभियन्ता	कानपुर	12649	8201	02.03.2019	10263	15.03.2019
107	श्री मथुरा दत्त पन्त	समीक्षा अधिकारी	लखनऊ	12588	8202	02.03.2019	10267	15.03.2019
108	श्री अशोक कुमार कत्याल	सहायक अभियन्ता	गाजियाबाद	10323	8203	02.03.2019	10255	14.03.2019
109	श्री राजकुमार गुप्ता	सहायक अभियन्ता	मथुरा	12897	8211	02.03.2019	9674	05.03.2019
110	श्री सियाराम वर्मा	सहायक अभियन्ता	कानपुर	12898	8212	02.03.2019	9675	05.03.2019
111	श्री बृजमोहन	सहायक अभियन्ता	प्रयागराज	12901	8213	02.03.2019	9676	05.03.2019
112	श्री अनिल कुमार शर्मा	अधिसासी अभियन्ता	गौतमबुद्धनगर	12910	8214	02.03.2019	9677	05.03.2019
113	श्रीमती कृष्णा सारस्वत पत्नी स्व० नारायण स्वारूप सारस्वत	अधीक्षण अभियन्ता	अलीगढ़	8316	8215	02.03.2019	9678	05.03.2019
114	श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी	सहायक अभियन्ता	मेरठ	12677	8224	05.03.2019	9703	06.03.2019
115	श्री असीम कुमार बनर्जी	सहायक अभियन्ता	लखनऊ	12676	8225	05.03.2019	9704	06.03.2019
116	श्री रमन प्रकाश कंसल	सहायक अभियन्ता	मेरठ	12704	8226	05.03.2019	9705	06.03.2019
117	श्री पूरनमल	सहायक अभियन्ता	आगरा	12705	8227	05.03.2019	9688	06.03.2019
118	श्री गुरु चरण सिंह रंगी	सहायक अभियन्ता	सहारनपुर	6475	8228	05.03.2019	9689	06.03.2019
119	श्री गणेश दत्त शर्मा	लेखाकार	मेरठ	12811	8229	05.03.2019	9690	06.03.2019
120	श्री सीता राम अग्रवाल	मुख्य अभियन्ता	गाजियाबाद	8302	8230	05.03.2019	9691	06.03.2019
121	श्रीमती तृप्ता चोपड़ा पत्नी स्व० राम प्रकाश चोपड़ा	सहायक अभियन्ता	लखनऊ	7131	8231	05.03.2019	9692	06.03.2019
122	श्री राज कुमार सिंह	अधीक्षण अभियन्ता	वाराणसी	12864	8232	05.03.2019	9693	06.03.2019
123	श्री राम राजन शुक्ला	सहायक अभियन्ता	कानपुर	12831	8233	05.03.2019	9694	06.03.2019
124	श्री त्रिलोकी नाथ मिश्रा	मुख्य अभियन्ता लेवल-1	लखनऊ	6553	8234	05.03.2019	9695	06.03.2019
125	श्रीमती आशा श्रीवास्तव पत्नी स्व० बी०एन० श्रीवास्तव	वरिष्ठ लेखाधिकारी	लखनऊ	6525	8235	05.03.2019	9696	06.03.2019
126	श्री भसूद आलम अन्सारी	लेखाधिकारी	प्रयागराज	13784	8236	05.03.2019	9697	06.03.2019
127	श्री मीम सिंह	मुख्य अभियन्ता स्तर-2	लखनऊ	12795	8239	05.03.2019	9700	06.03.2019
128	श्रीमती रामरजी देवी पत्नी स्व० हरिदास राम	अनुसेवक	लखनऊ	12801	8240	05.03.2019	9701	06.03.2019
129	श्री हरि मोहन अवस्थी,	अधिसासी अभियन्ता	लखनऊ	12843	8242	05.03.2019	9706	06.03.2019
130	श्री अशोक प्रताप सिंह,	अधीक्षण अभियन्ता	प्रयागराज	12839	8244	05.03.2019	9708	06.03.2019

131	श्रीमती खुमाना देवी पत्नी स्व० छेदी लाल,	सहायक लेखाकार	आगरा	10071	8245	05.03.2019	9709	06.03.2019
132	श्री हरेन्द्र सिंह,	अधिकासी अभियन्ता	गाजियाबाद	12743	8246	05.03.2019	9710	06.03.2019
133	श्रीमती नीलम सचदेवा पत्नी स्व० चन्द्र मोहन सिंह,	सहायक अभियन्ता	मेरठ	12737	8247	05.03.2019	9711	06.03.2019
134	श्री विजय कुमार बालिया,	सहायक अभियन्ता	गौतमबुद्धनगर	12790	8250	05.03.2019	9714	06.03.2019
135	श्री कान्ती प्रसाद वाष्पाय,	सहायक अभियन्ता	अलीगढ़	12777	8251	05.03.2019	9715	06.03.2019
136	श्री प्रमोद कुमार चड्ढा	सहायक अभियन्ता	गाजियाबाद	8263	8253	05.03.2019	9717	06.03.2019
137	श्रीमती कान्ती देवी पत्नी स्व० दयानन्द चौहान	सहायक लेखाधिकारी	अलीगढ़	6847	8254	05.03.2019	9718	06.03.2019
138	श्रीमती उर्मिला मिश्रा पत्नी स्व० इन्दू कुमार मिश्रा	अधिकासी अभियन्ता	लखनऊ	6875	8256	05.03.2019	9720	06.03.2019
139	श्री अरुण कुमार उपाध्याय	सहायक अभियन्ता	गोरखपुर	11835	8258	05.03.2019	9722	06.03.2019
140	श्री विमल चन्द जायसवाल	अधिकासी अभियन्ता	लखनऊ	10371	8259	05.03.2019	9723	06.03.2019
141	श्री अमर नाथ सिन्हा	उपमहाप्रबन्धक	लखनऊ	10870	8260	05.03.2019	9724	06.03.2019
142	श्री ज्ञान चन्द्र	अधिकासी अभियन्ता	सहारनपुर	10900	8261	05.03.2019	9725	06.03.2019
143	श्रीमती विमला भारद्वाज पत्नी स्व० जी०बी० भारद्वाज	सहायक अभियन्ता	अलीगढ़	6911	8262	05.03.2019	9726	06.03.2019
144	श्रीमती प्रमोद भार्गव पत्नी स्व० रामेश्वर प्रसाद भार्गव	संयुक्त सचिव	लखनऊ	6802	8263	05.03.2019	9727	06.03.2019
145	श्री चार्ल्स स्टुअर्ट डेनियल	अनुभाग अधिकारी	लखनऊ	6861	8264	05.03.2019	9728	06.03.2019
146	श्री राजा राम मौर्या	प्रशासनिक अधिकारी	गोरखपुर	6874	8265	05.03.2019	9729	06.03.2019
147	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	सहायक अभियन्ता	आगरा।	8322	8273	05.03.2019	9736	06.03.2019
148	श्री नाहर सिंह वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता	मेरठ।	8320	8275	05.03.2019	9738	06.03.2019
149	श्री तुलसी पति राम	लेखाकार	लखनऊ।	8328	8276	05.03.2019	9739	06.03.2019
150	श्रीमती जमुना देवी पत्नी स्व० राम कृष्ण अहिरवार	सहायक अभियन्ता	कानपुर नगर।	8313	8277	05.03.2019	9740	06.03.2019
151	श्री सुरेन्द्र कुमार	मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय	लखनऊ।	7382	8278	05.03.2019	9741	06.03.2019
152	श्रीमती सुमन सिंह पत्नी स्व० वीरेन्द्र पाल सिंह	लेखाकार	लखनऊ	12387	8283	05.03.2019	10224	14.03.2019
153	श्री राम शंकर गुप्ता	अधिकासी अभियन्ता	लखनऊ	6300	8284	05.03.2019	10320	15.03.2019
154	श्री राम कुँवर सिंह	अधिकासी अभियन्ता	वाराणसी	9208	8285	05.03.2019	10228	14.03.2019
155	श्री प्रबोध कुमार जैन	सहायक अभियन्ता	मुजफ्फरनगर	10824	8287	05.03.2019	10227	14.03.2019
156	श्री बाँके लाल शर्मा	अधिकासी अभियन्ता	कानपुर	8538	8288	05.03.2019	10237	14.03.2019
157	श्री मो० शमीम	चपरासी	लखनऊ	12551	8289	05.03.2019	10236	14.03.2019

158	श्रीमती सरला शर्मा पत्नी स्व० महेन्द्र पाल शर्मा	अधिकासी अभियंता	अलीगढ़	6483	8301	05.03.2019	9746	06.03.2019
159	श्रीमती कमला पाठक स्व० रामदेव पाठक	अनुभाग अधिकारी	लखनऊ	9842	8302	05.03.2019	9747	06.03.2019
160	श्री पुरुषोत्तम गुप्ता	लेखाकार	लखनऊ	9763	8303	05.03.2019	9748	06.03.2019
161	श्री कैलाश नाथ त्रिपाठी	अनुभाग अधिकारी	लखनऊ	8303	8304	05.03.2019	9749	06.03.2019
162	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	सहायक अभियंता	लखनऊ	8414	8252	05.03.2019	9716	05.03.2019
163	श्री अमर दयाल सिंह	उपमहाप्रबन्धक	वाराणसी	9060	8252-ए	05.03.2019	9716-ए	06.03.2019
164	श्री पारसनाथ	सहायक अभियंता	वाराणसी	9768	8305	05.03.2019	9750	06.03.2019
165	श्रीमती सरोज सिंह पत्नी स्व० दयाशंकर सिंह	अधिकासी अभियंता	जौनपुर	10934	8496	05.03.2019	9968	06.03.2019
166	श्रीमती कुसुम इलियास पत्नी स्व० राजेन्द्र कुमार इलियास	अनुसेवक	लखनऊ	9870	8268	05.03.2019	9732	06.03.2019
167	श्री सुरेन्द्र कुमार जैन	सहायक अभियंता	गाजियाबाद	7360	8269	05.03.2019	9733	06.03.2019
168	श्रीमती सरोज तिवारी पत्नी स्व० अच्युत केशव तिवारी	सहायक अभियंता	कानपुर	10854	8270	05.03.2019	9734	06.03.2019
169	श्रीमती किशोरी अग्रवाल पत्नी स्व० कल्याण दास अग्रवाल	सहायक अभियंता	गोरखपुर	11162	8271	05.03.2019	9735	06.03.2019
170	श्री आदित्य नाथ बरनवाल	अनुभाग अधिकारी	लखनऊ	11132	8267	05.03.2019	9731	06.03.2019
171	श्री ए०एन० शर्मा	सहायक अभियंता	लखनऊ	10855	8173	02.03.2019	9624	03.03.2019
172	श्री ओम प्रकाश शुक्ला	फैरोबाय	लखनऊ	12700	8156	02.03.2019	9641	02.03.2019
173	श्री प्रमो दयाल	चपरासी	लखनऊ	12699	8155	02.03.2019	9640	02.03.2019
174	श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा	सहायक अभियंता	गौतमबुद्धनगर	10852	8147	02.03.2019	9633	03.03.2019
175	श्रीमती नीरजा माटिया पत्नी स्व० राकेश चन्द्र माटिया	सहायक अभियंता	अलीगढ़	8291	8107	01.03.2019	9552	02.03.2019
176	श्रीमती सुषमा रानी पत्नी स्व० कृष्णेंद्र प्रसाद सिंह	अधिकासी अभियंता	मेरठ	10795	8108	01.03.2019	9553	02.03.2019
177	श्री रवि खरे	अधिकासी अभियंता	मथुरा	11409	8103	01.03.2019	9548	02.03.2019
178	श्री विनय किशोर श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव	लखनऊ	12730	8084	01.03.2019	9526	01.03.2019
179	श्री अशोक कुमार श्रोत्रिय	स्टेनोग्राफर	मुरादाबाद	12728	8083	01.03.2019	9525	01.03.2019



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 7314 9490 02-03 उ०प्र०/ दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री भरत सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण				
(क) पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	2250	दिनांक	09.06.2003	
(ग) जन्मतिथि				19.02.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती सुदामा सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				19.07.1950
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				28.02.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान				पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)				16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ) वेतन		₹		20,000
(ङ) मूल पेंशन		₹		24295
(च) पेंशन का राशिकृत माग		₹		3040
(ज) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	₹0 21255 दि० 09.09.2018 तक तदुपरान्त	₹0 24295
(झ) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(ञ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		14730
(ट) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा				छमाहियाँ 66
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण				
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)				तालिका नं० 13
(ख) निर्धारित वेतन		₹		1,39,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन				
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		69550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		69550
(च) राशिकृत पेंशन		₹		3040
(ज) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय		₹	₹0 66510 दि० 09.09.2018 तक तदुपरान्त	₹0 69550
(झ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ञ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		41730
(ट) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदुपरान्त इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7314 9490 02-03 उ०प्र०/ दिनांक:15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण एवं प्रथम पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०, शिवपुर, वाराणसी।
- श्री भरत सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-रोड नं० 3 दूसरे ट्रांसफार्मर से उत्तरवाली खण्ड-नजा रोड, पोस्ट एम० आई०टी० जिला मुजफ्फरपुर, पिन-842003।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक 9089 दिनांक 16.02.2019 के साथ-साथ मुगलान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

15/02/19

गीता मिश्रा  
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ





# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7332

7869

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-16.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती उर्मिला तिवारी पत्नी स्को अनन्त सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार	833	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओओ संख्या	15.10.1999	
(ग)	जन्मतिथि		15.07.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती उर्मिला तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		18.06.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.1998 / 31.10.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		2225-3500 / 6500-11000 / 9300-34800 ग्रेड पे-4800
(घ)	वेतन	₹	9,700
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	8577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियाँ 66

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 8
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	60,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	30200
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(क)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	18120
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7332

7869

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक:16.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।
2. श्रीमती उर्मिला तिवारी पत्नी स्को अनन्त राम तिवारी, सेवानिवृत्ति लेखाकार, पता-सी-2250 इन्दिरा नगर, लखनऊ।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक 9107 दिनांक 17.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति मवन, लखनऊ

दिनांक 16/02/19

शक्ति मवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 7421  
कोषाधिकारी,  
कोषागार, अलीगढ़।

7842

98-99

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14/02/2019

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री बहादुर सिंह

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिदर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1030 दिनांक 01.08.2000
(ग)	जन्मतिथि	14.05.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती हरजिन्दर कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	25.08.1946
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400/22400/37400-87000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 86

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 74250
(च)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹ 74250
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(अ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ ₹ 14850 दि० 14.05.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7421

7842

98-99

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14/02/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वेतन एवं लेखा अनुभाग, दक्षिणोत्तर हस्तुआगंज राष्ट्रीय परियोजना, कासिमपुर, अलीगढ़।

2. श्री बहादुर सिंह, सेवानिवृत्ति अधीक्षण अभियन्ता, पता-जे 31, ज्ञानरासेवर कालोनी, रामधाम रोड, अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़। को प्रेषित पत्रोंक 9231 दिनांक 15/02/19 को सम्पन्न कर मुहताम प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ।



पत्र सं०

12653

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

01-03-19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राधा भटनागर पत्नी स्व० राकेश भटनागर

सेवानिवृत्त

सहायक  
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5750	दिनांक
(ग)	जन्मतिथि		17.07.2012
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राधा भटनागर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		29.09.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2012/13.11.2016
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹	62,220
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31110
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12444
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18666
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 31110/-दि० 04.01.17 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18661
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,60,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 80300/-दि० 04.01.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8013

12653

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमोंचल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया, पार्क, मेरठ।

2. श्रीमती राधा भटनागर पत्नी स्व० राकेश भटनागर सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-03 हनुमानपुरी, सूरज कुंड रोड, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक 10551 दिनांक 25-3-19 के साथ सूचना प्रेषित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/का०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०/लेखा/पेंशन/लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरोक्त पत्र संख्या/लेखा/पेंशन

(संख्या/लेखा/पेंशन)

दिनांक

पत्र संख्या/लेखा/पेंशन



पत्र सं

12652

2011-2012

उपरोक्त/लेखा/पेंशन

दिनांक

01-03-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

सम्बल

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राकेश शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या		5498	
(ग)	जन्मतिथि			17.11.2011
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			24.12.1950
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			श्रीमती रशिम शर्मा
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			15.12.1961
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			31.12.2010
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			छठा वेतनमान
(घ)	वेतन			37400-67000 (6900)
(ङ)	मूल पेंशन	₹		62,160
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		31080
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		12432
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹		18648
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		₹ 31080/-23.12.15 तक
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियों	18648
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका सं०

(क)	निर्धारित वेतन	₹		1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एव ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		12432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		68218
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		₹ 80650/-दि० 23.12.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं

8014

12652

2011-2012

उपरोक्त/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, चन्दीसी (मुरादाबाद)।

2 श्री राकेश शर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-आवास संख्या एल०बी०-4, लक्ष्मी नगर, निकट माता मन्दिर, लाइन पर, मुरादाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सम्बल को प्रेषित पत्रांक 10552 दिनांक 25-3-19 के साथ संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोक्त/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

12363

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

01-03-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शाह अफसर हुसैन

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या:	5211 दिनांक 14.03.2011
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सहबानाज
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 32015/-दि० 31.12.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ ₹ 83050/-दि० 31.12.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8015

12363

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति मयन, लखनऊ।

2. श्री शाह अफसर हुसैन सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-474/207 डी, ब्रह्मनगर, सीतापुर रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10553 दिनांक 25.3.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिसूचना अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति मयन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति मयन, लखनऊ



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIM: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12536

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक- 01-03-19

कोषाधिकारी,

कोषागार मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजपाल अग्रवाल

सेवानिवृत्त

अधिकाारी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5509	दिनांक 30.11.2011
(ग)	जन्मतिथि		25.07.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती ममता अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.03.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	76,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15220
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22830
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15220
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	78880
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8016

12536

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकाारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

2. श्री राजपाल अग्रवाल, सेवानिवृत्त अधिकाारी अभियन्ता, पता 24/4, जागृति विहार, मेरठ-250004

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक 10328 दिनांक 15-3-19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिकाारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राकिा यवन, लखनऊ 1

लेखाधिकारी (पेंशन)

के.ए.ए.ए.ए. (पेंशन)  
उ० प्र० पा० का० लि०, राकिा यवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9213

02-03

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

01-03-19

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुधा सिन्हा

अधिवर्षता

सहायक समीक्षा अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1878	दिनांक 03-07-2002
(ग)	जन्मतिथि	18.04.1999	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		अंकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवाँ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	5300-8600 (9300-34800 ग्रेड पे 4200)	
(घ)	वेतन		6,800
(ङ)	मूल पेंशन		3,890
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		565 पुर्नस्थापित दिनांक 07.09.2017
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	3325	दिनांक 07.09.2017 तक तदुपरान्त 3890
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	28	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	06
(ख)	निर्धारित वेतन		43,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		21,950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		9313
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		18,400
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		18400
(ङ)	राशिकृत पेंशन		565 पुर्नस्थापित दिनांक 07.09.2017
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ		17835 दिनांक 07.09.2018 तक तदुपरान्त 18400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	लागू नहीं	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2017

9213

02-03

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्रीमती सुधा सिन्हा, से०नि० सहायक समीक्षा अधिकारी पता ए-385, इन्दिरा नगर लखनऊ
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

12362

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

21-03-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अंजुलि पत्नी स्व० विजय कुमार

सेवानिवृत्त

अधिकांसी  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5235 दिनांक
(ग)	जन्मतिथि	13.04.2011
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अंजुलि
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	24.11.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	19.10.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 73,880
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 36940/- दि० 19.10.2020 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ ₹ 96900/- दि० 19.02.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

BCE

12362

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्रीमती अंजुलि पत्नी स्व० विजय कुमार सेवानिवृत्त अधिकांसी अभियन्ता, पता-3/2 विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10332 दिनांक 15.3.15 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ





पत्र सं०

12641

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

01-03-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्मित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार शर्मा

सेवानिवृत्त

समीक्षा  
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5478	20.10.2011
(ग)	जन्मतिथि		13.09.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सरिता शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		04.01.1961
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹	64,090
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32045
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12818
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19227
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 32045/-दि० 12.09.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19227
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,65,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	82700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	82700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12818
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	69882
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 82700/-दि० 12.09.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49620
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8019

12641

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री अशोक कुमार शर्मा सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, पता-एन-541, आशियाना, एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रक 10336 दिनांक 15-3-19 के साथ सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited



पत्र सं०

12624

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- ०१-०३-१९

कोषाधिकारी,

इस

कोषागार, आगरा

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गनेशी लाल

सेवानिवृत्त

अधिकासी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5587 दिनांक 06.02.2012
(ग)	जन्मतिथि	20-12-50
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मोना गावर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	09-08-1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-12-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 49,530
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24785
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9906
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 14859
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14859
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका न०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 131,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 65530
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 65530
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 65530
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9906
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 55844
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8070

12624

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1 अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा

2 श्री गनेशी लाल, अधिकासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 38 श्री राधे विहार कालोनी, पश्चिमपुरी, शास्त्रीपुरम रोड, सिकन्दरा, आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक 10355 दिनांक-15.3.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० कार० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited



पत्र सं०

12630

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 01-03-19

कोषाधिकारी,

इस

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुख्तारुज्जमो खान

सेवानिवृत्त

अधिशाली  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5511 दिनांक 02.12.2011
(ग)	जन्मतिथि	15-08-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शरमीदा मुख्तार खान
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10-01-1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-08-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 70,320
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 35160
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 14064
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21096
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 21096
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 181,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 90750
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 90750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 90750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 14064
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 76686
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54450
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8021

12630

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री मुख्तारुज्जमो खान, अधिशाली अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 546/753/1-एरा मेडिकल कालेज रोड, सरफराज गंज, हरदोई रोड, लखनऊ-226003

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10324 दिनांक- 15-3-19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे। 27/02/19

3. अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11403

08-09

उ०म०प्र०/

दिनांक- 01-03-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लाल बहादुर

सेवानिवृत्त

अधिकासी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4257	दिनांक	31.12.2008
(ग)	जन्मतिथि			08.06.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती चन्दा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.07.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.10.2008 (स्वैच्छिक)
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9970
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20200
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9970
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		68330
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		46880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अधवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8023

11403

08-09

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री लाल बहादुर, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता 111 लक्ष्मणपुरी फैजाबाद रोड, लखनऊ 226016  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10331 दिनांक 15.3.19 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
विमलेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०



पत्र सं०

12625

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 01-08-19

कोषाधिकारी,

इस

कोषागार, मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती पुष्पा कुमार पत्नी स्व० योगेन्द्र कुमार सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5765 दिनांक 01.08.2012
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पुष्पा कुमार
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30-06-11/29-06-13
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 35830 दि० 30.06.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 21516

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 188,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 94100 दि० 30.06.18 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56460
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8024

12625

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ

2. श्री योगेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता बी-59, डिफेंस कालोनी, मवाना रोड, मेरठ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार

मेरठ

को प्रेषित पत्रांक

10335

दिनांक-

15-3-19

के सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ-1

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6625

90-91

उ०म०प्र०/

दिनांक- 01-03-19

कोषाधिकारी,

कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओम प्रकाश खरे

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०अ० संख्या	8708	दिनांक 03.12.1991
(ग)	जन्मतिथि		12.02.1933
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुरील खरे
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.1991
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		2600-4000 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन	₹	3,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹	11810
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	11810
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	7086
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	67,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	33500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	33500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	33500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	20100
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.18 से 11.02.18 तक 6700 तथा दि० 12.02.18 से

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6625

90-91

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी
- श्री ओम प्रकाश खरे, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता डी-61/38, ई-7, प्लॉट नं० 111, सिद्ध गिरि बाग, वाराणसी

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

काषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

10567

दिनांक

25-3-19

के सम्पर्क सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ 1

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

उ०म०प्र० कारपोरेशन लि०

लखनऊ



पत्र सं०

11271

2007-2008

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

01-03-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मन्जूलता फली स्व० नूतन कुमार सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4227	27.08.2008
(ग)	जन्मतिथि		अंकित नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मन्जूलता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		07.07.1968
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		26.03.2007
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (6700)
(घ)	वेतन	₹	48,650
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 24325/-दि० 25.03.17 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14595
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		32 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 50720/-दि० 25.03.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8276

11271

2007-2008

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
2. श्रीमती मन्जूलता फली स्व० नूतन कुमार सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-सी-171-28, रूस्तमपुर (तिवारीपुर) गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक 10559 दिनांक 25.3.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

MRV...  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
गोरखपुर



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP19995GC024928

पत्र सं०

12916

12-13

उ०प्र०/

दिनांक- 01-03-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री परवेज आलम

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6665 दिनांक 17.12.2014
(ग)	जन्मतिथि	11.08.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रिजवाना सुल्तान
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	27.01.1962
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 77,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 38500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 15400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 23100
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	86 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 15400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 84400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 59800
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8007

12916

12-13

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री परवेज आलम, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता ई-3, अब्दुल्ला अपार्टमेंट, अब्दुल्ला गर्लस कालेज रोड, सिविल लाइन्स, अलीगढ़-202001

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रक 10560 दिनांक 25-3-19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

MR. VERMA  
31/03/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)





उत्तर प्रदेश कायदा संशोधन विभाग

उत्तर प्रदेश कायदा संशोधन विभाग

उत्तर प्रदेश कायदा संशोधन विभाग



पत्र सं०

8415

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

01-03-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गौतमबुद्ध नगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेन्द्र नाथ पाल

सेवानिवृत्त

अधीक्षण  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5727 दिनांक 20.06.2012
(ग)	जन्मतिथि	11.06.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पौली पाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.01.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	एचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 21,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 28107
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 26107
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	63 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,57,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 78800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 75219
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 75219
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 75219
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 47280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8028

8415

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमाल विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

2. श्री रमेन्द्र नाथ पाल सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-डी-70 सेक्टर 8, द्वारिका, नई दिल्ली-110077.

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्ध नगर को प्रेषित पत्रांक 10607 दिनांक 25.3.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

M. R. Sharma  
25/3/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8152

99-2000

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 01-03-19

कोषागार

बस्ती

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव प्रसाद अधिवर्षता लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	981	दिनांक 10-04-2000
(ग)	जन्मतिथि		16.05.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300	(37400-67000 ग्रेड पे० 8700)
(घ)	वेतन		15,500
(ङ)	मूल पेंशन		23,050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	12
(ख)	निर्धारित वेतन		1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		61,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		61550
(ङ)	राशिकृत पेंशन		पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय		61550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	लागू नहीं	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8029

8152

99-2000

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड बस्ती

2. श्री शिव प्रसाद से०नि० लेखाधिकारी पता 210 मडवा नगर (बड़े बान बस्ती सदर ब्लाक कार्यालय बाउन्ड्री के उत्तर तरफ) पत्रालय 210 मडवा बस्ती

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, बस्ती स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति वेबसाइट (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12587

11-12

उपरो/

दिनांक- 01-03-19

कोषाधिकारी,

कोषागार प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण नारायण पाण्डेय

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	5454	दिनांक 26.09.2011
(ग)	जन्मतिथि		15.07.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती चर्मिला पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		12.02.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	72358
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51330
(ण)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अध्यापक उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो कर भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8031

12587

11-12

उपरो/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।

2. श्री कृष्ण नारायण पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 1123ए/1300, पुराना कटरा, प्रयागराज

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 10543 दिनांक 25.3.15 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3. अधिशासी अभियन्ता, देवराइट, उपरोपाकोलि०, शक्ति भवन, लेखनाऊ।

27/03/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)



संसाधन विभाग, कारपोरेशन लिमिटेड

संसाधन विभाग, कारपोरेशन लिमिटेड

संसाधन विभाग, कारपोरेशन लिमिटेड

7927 1998-1999 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 01-03-19

पत्र सं०

कोषाधिकारी, कोषागार,

सहारनपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती बीना सिंह पत्नी स्व० धर्मवीर सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1531	28.08.2001
(ग)	जन्मतिथि		16.07.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बीना सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02.01.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-87000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	18,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8032

7927

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।

2. श्रीमती बीना सिंह पत्नी स्व० धर्मवीर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-2/1289 लक्ष्मण सिंह कालोनी (मिशन कम्पाउण्ड), सिविल लाइन्स, सहारनपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर को प्रेषित पत्रांक 10544 दिनांक 25.3.19 के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पत्र सं० 8032 दिनांक 25.3.19  
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.



पत्र सं०

12393

10-11

उ०प्र०/

दिनांक- 01-08-17

कोषाधिकारी,

इस

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती रेनू पाण्डेय पत्नी स्व० गोपाल  
किशोर पाण्डेय सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि० पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5408 दिनांक 20.08.2011
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रेनू पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03-07-1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	16-12-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 36940
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 193,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 96900
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 96900 दि० 16.12.20 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जाएगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8033

12393

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्रीमती रेनू पाण्डेय पत्नी स्व० गोपाल किशोर पाण्डेय, अधिशासी अभियन्ता पता द्वारा श्री बी०के० दीक्षित, बी-158, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 03 38 दिनांक-15-3-19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12533

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 01.03-19

कोषाधिकारी,

कोषागार गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निगित आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अमरजीत सिंह

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5588	दिनांक	07.02.2012
(ग)	जन्मतिथि			10.06.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती कामिनी सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			19.03.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹		73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹		36940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		82124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8034

12533

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमीचल विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)

2. श्री अमरजीत सिंह सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता एस०बी०-2, एस०एफ०-1, एल०डी०को०, यूरोपिया, सेक्टर-93, नोएडा

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक 8034 दिनांक 15.3.18 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्रारंभ करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8107

99-2000

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/3/19

कोषागार

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वीर सेन यादव

अधिवर्षता

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1019 दिनांक 19-05-2000	
(ग)	जन्मतिथि	07.07.1941	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कान्ता यादव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	10650-15200 (15600-39100 ग्रेड पे 6600)	
(घ)	वेतन		14,875
(ङ)	मूल पेंशन		16,701
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		10086

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

तालिका संख्या 11

(ख) निर्धारित वेतन

88,400

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

44,200

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

44200

(ङ) राशिकृत पेंशन

पुनर्स्थापित

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

44200

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

28520

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8035

8107

99-2000

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, परिचामधल विद्युत वितरण खण्ड, मोदीनगर

2. श्री श्री वीर सेन यादव से०नि० सहायक अभियन्ता, पता न०न० 12/817 गली नं० 05, भूनेन्द्र पुरी, रेलवे स्टेशन के पास मोदीनगर, गाजियाबाद

3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, गाजियाबाद स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ  
लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12534

11-12

उपग्रो/

दिनांक- 01-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री योगेश्वर शर्मा

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5537	दिनांक	23.12.2011
(ग)	जन्मतिथि			09.07.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती माधुरी शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			02.01.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-87000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹		76,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹		38050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		15220
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22830
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		22830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		15220
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹		84580
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

3036

12534

11-12

उपग्रो/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2 श्री योगेश्वर शर्मा, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता 3/1377, वसुन्धरा, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक <sup>10327</sup> दिनांक 15-3-18 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकॉर्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ





पत्र सं०

/12648 1285T

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

1/3/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गौतमबुद्ध नगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कमर जहाँ पत्नी स्व० सैय्यद अख्तर हुसैन रिजवी

सेवानिवृत्त

अधिकासी अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5577 दिनांक 23.01.2012
(ग)	जन्मतिथि	26.11.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमर जहाँ
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	11.12.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	01.12.2011/01.03.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000(10000)
(घ)	वेतन	₹ 76,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 38050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 15220
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22830
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 38050/-दि० 25.11.2016 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 99800/-दि० 25.11.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8038

/12648 1285T

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्यमयल विद्युत वितरण निगम लि०, बाराबंकी।
- श्रीमती कमर जहाँ पत्नी स्व० सैय्यद अख्तर हुसैन रिजवी, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-स्टेशन रोड, अख्तर प्लाजा के बगल में, बाराबंकी।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्ध नगर को प्रेषित पत्रांक 10329 दिनांक 15.3.19 के सापेक्ष तुरंत प्रेषित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०प०क०लि०, राकि भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8067

12741

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 01.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार चन्दौली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1 पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्धता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5627	दिनांक	16.03.2012	
(ग)	जन्मतिथि				03.03.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती विमला पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				15.03.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.03.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)				37400-67000 ग्रेड पे B900
(घ)	वेतन	₹			64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹			32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹			12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा				40 छमहियाँ

3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹			1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन				
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹			83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹			12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹			70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			0

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8067

12741

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-01.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, चन्दौली

2 श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, परता ग्राम पण्डुकपुर, पो० घरहरा (सकलडीडा), जिला चन्दौली

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार चन्दौली को प्रेषित पत्रांक 9520 दिनांक 01.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, राकि० भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विशेषज्ञ  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र०पा०क०लि०  
राकि० भवन, लखनऊ



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8069

12727

11-12

उपग्रो/

दिनांक- 01.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार आगरा

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मनकामेश्वर नाथ

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	5633	दिनांक 19.03.2012
(ग)	जन्मतिथि		31.05.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रागिनी अग्निहोत्री
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.01.1958
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30179
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12068
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18102
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12068
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	66232
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	0

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8069

12727

11-12

उपग्रो/

दिनांक-01.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा

2 श्री मनकामेश्वर नाथ, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 45-तृतीय, फेज, मारुती स्टेट, बोदला रोड, शाहगंज, आगरा-282010

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक 9522 दिनांक 01.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकोरपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8070

12764

12-13

उ०प्र०/

दिनांक- 01.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेश चन्द्र त्रिपाठी

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5774	दिनांक	08.08.2012
(ग)	जन्मतिथि			08.07.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती मीरा त्रिपाठी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			02.01.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹		77,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹		38500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		15400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		23100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			38500 दि० 07.07.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		23100
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹		99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		15400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹		84400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹		99800 दि० 07.07.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		0

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8070

12764

12-13

उ०प्र०/

दिनांक-01.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यंत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री नरेश चन्द्र त्रिपाठी, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता ग०नं० 463(सी), सेक्टर-एन, आशियाना कालोनी, लखनऊ-12

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9523 दिनांक 01.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

नरेश चन्द्र त्रिपाठी  
सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता  
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8071

12766

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 01.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अलका पाल पत्नी स्व० ओम प्रकाश पाल सेवानिवृत्त अनुसेवक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5626	दिनांक 14.03.2012
(ग)	जन्मतिथि		20.11.1968
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अलका पाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		30.05.1975
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		09.06.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठें वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹	14,930
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		7465 दि० 09.06.2021 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	4479
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		0

### 3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		6 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	39,000
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	19500 दि० 09.06.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	11700
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8071

12766

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-01.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती अलका पाल पत्नी स्व० ओम प्रकाश पाल, (दिवंगत) अनुसेवक, पता 40/10 277/50, 'क' बलरामपुर क्वार्टर, नाका हिन्डोला, ऐशबाग रोड, साकेत मोटर्स के पास, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9524 दिनांक 01.03.2019 के संपेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

01/03/19



उ०प्र० पारिवारिक पेंशन लि०

(सं०) उ०प्र० पारिवारिक पेंशन

(सं०) उ०प्र० पारिवारिक पेंशन



पत्र सं० 8073 7675 1997-1998 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सीधा देवी पत्नी स्व शम्भू शरण तिवारी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	पारिवारिक पेंशन
(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	5980 दिनांक 30.01.2013
(ग) जन्मतिथि	लागू नहीं
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सीधा देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1938
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	18.11.2006
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	3400-4750
(घ) वेतन	₹ 12,275
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 8325
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 76,200
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 22860
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8073 7675 1997-1998 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
- श्रीमती सीधा देवी पत्नी स्व शम्भू शरण तिवारी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता :- ग्राम-खड़ैसर, पोस्ट-टीकमवार, थाना-माटपार रानी, जिला-देवरिया (उ०प्र०), को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक 9602 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष सम्पुर्ण स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोज मेहराजा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पी०पी०ओ०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश सरकार)

Uttar Pradesh Government

Uttar Pradesh Government



पत्र सं०

8074

6187

1987-1988

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती ताहिरा हसनैन पत्नी स्व० नफीसुल हसनैन

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8801 दिनांक
(ग)	जन्मतिथि	05.03.1992
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	10.03.1930
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	श्रीमती ताहिरा हसनैन
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	02.09.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	31.08.1988 / 22.02.2003
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	चौथा वेतनमान
(घ)	वेतन	5000-6300/37400-67000 (8900)
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 6.300
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.	विवरण	13 तालिका सं०
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 20 प्रतिशत दि० 02.09.19 से ₹ 7866/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8074

6187

1987-1988

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिराशी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती ताहिरा हसनैन पत्नी स्व० नफीसुल हसनैन सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता :-5/129, विकास नगर, लखनऊ।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9507 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3

अधिराशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

M. R. Sharma  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
कोषाधिकारी (पेंशन)  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

उ०प्र० सरकार का उपक्रम  
U.P. Power Corporation Limited  
(Government Undertaking)



पत्र सं० 8081 8246 1999-2000 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 01.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री संत बक्श मोर्या सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	982	10.04.200
(ग)	जन्मतिथि		02.03.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रामेश्वरी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		04.05.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.1998
(ख)	वर्तमान लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		14300-18300/37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹	15,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	61550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ/ङ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(ज)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ण)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	36930
(ट)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आणवित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8081 8246 1999-2000 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमॉवल विद्युत वितरण निगम लि०, विकटोरिया, पार्क, मेरठ।

2. श्री संत बक्श मोर्या सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता :- 202/2/4 सेंक्टर-4, जागृति विहार, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक 9514 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष समर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मीता मिश्रा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० (सि०)  
वि० भ०, लखनऊ





पत्र सं०

8085

11641

09-10

उ०प्र०/

दिनांक-01.03.19

कोषाधिकारी,

कोषागार, मथुरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री संतोष कुमार

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4624 दिनांक 23.10.2009
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रामेश्वरी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01-07-1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30-06-09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 30170 दि० 20.07.10 से
(घ)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9730
(ङ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ 78300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 68570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8085

11641

09-10

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मथुरा

2 श्री संतोष कुमार, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता बी०-130, मोतीकुंज, मथुरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मथुरा को प्रेषित पत्रांक 9527 दिनांक- 01.03.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



30प्र0 पारिवारिक पेंशन निगम

(निगम सरकार का उपक्रम)

जुन २०१७

पत्र सं० ८०८६ दिनांक ०९-१०-२०१७



पत्र सं०

८०८६

११९६३

०९-१०

३०म०प्र०/

दिनांक-०१.०३.१९

कोषाधिकारी,

कोषागार, मेरठ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-१३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-२३ दिनांक १८.०७.२०१७ एवं आदेश सं०-३१ दिनांक ०४.०९.२०१७ एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-७७७ दिनांक ३०.०६.२०१८ के अन्तर्गत

श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्र सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक ०१.०१.२०१६ से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## १. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	४९४४ दिनांक ०५.०७.२०१०
(ग) जन्मतिथि	०१.०६.१९५०
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सत्यनिष्ठा मिश्र
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	१६-०४-१९५३
२.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	३१-०५-१०
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	३७४००-६७००० ग्रेड पे ८७००
(घ) वेतन	₹ ६०,४००
(ङ) मूल पेंशन	₹ ३०२०० दि० २०.०७.१० से
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ ९४९८
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ २०७०२
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ १८१२०
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	४० छमहियाँ

## ३. दिनांक ०१.०१.२०१६ को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-४४४ दि० ११.०४.२०१८ के अनुसार)	₹	१२ तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹	१५५,९००
४. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक ०१.०१.२०१६ को संशोधित पेंशन	₹	७७९५०
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	७७९५०
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-१४ दिनांक ०१.०५.२०१८ के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(१) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक ०१.०१.२०१६ को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	७७९५०
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	९४९८
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	६८४५२
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	४६७७०
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

५. कारपोरेशन के आदेश सं०-१३२० दिनांक २९.१२.२०१७ द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-३९ दिनांक २३.१२.२०१६ के प्रस्तर-४ के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-४ (घ)/(ज) में आणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक ०१.०१.२०१६ से किया जायेगा। दिनांक ०१.०१.२०१६ से दिनांक ३१.१२.२०१७ की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

८०८६

११९६३

०९-१०

३०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचयमंचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ

२. श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्र, सहायक लेखाधिकारी सेवानिवृत्त पता २९४/१८ बनवारी वाटिका, ट्रान्सपोर्ट नगर, मेरठ-२५०००२

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक ९५२८ दिनांक- ०१.०३.१९ के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

३

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, ३०म०प्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्र

सहायक लेखाधिकारी

कोषागार, मेरठ



पत्र सं० 8087 12631 11-12 उ०प्र०/ दिनांक-01.03.19

कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नीलाम्बुज तिवारी सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5543 दिनांक 27.12.2011
(ग)	जन्मतिथि	08.09.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती किरन तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	06-03-1956
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30-09-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन	₹ 36,480
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 18240
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 7296
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 10944
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 10944

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा 40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 95,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ 47750
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 47750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 47750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 7296
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 40454
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 28650
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8087 12631 11-12 उ०प्र०/ दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आदर्श कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री नीलाम्बुज तिवारी, प्रशासनिक अधिकारी सेवानिवृत्त पता 136-न्यू गणेश गंज, कुन्हासो वाली गली, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9529 दिनांक- 01.03.19 के साक्ष्य सम्पत्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

श्रीमती किरन तिवारी

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P. Power Corporation Limited  
UPPC, Lucknow

पत्र सं०

8088

12622

11-12

उपरो/

दिनांक- 01.03.19

कोषाधिकारी,

कोषागार, बुलन्दशहर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लाल सिंह

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5274	18.06.2012
(ग)	जन्मतिथि		15.10.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुशीला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15-07-1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-10-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹	50,390
(ङ)	मूल पेंशन	₹	25195
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10078
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	15117
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15117
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	130,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	65300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	65300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10078
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	55222
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8088

12622

11-12

उपरो/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर

2. श्री लाल सिंह, लेखाधिकारी सेवानिवृत्त पता बुद्ध विहार कालोनी, निकट तेलिया घाट, झांझर रोड, खुर्जा (बुलन्दशहर)

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बुलन्दशहर को प्रेषित पत्रांक 8530 दिनांक- 01.03.19 के सापेक्ष सम्मर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/कोषागार, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश्वर सिंह (पेंशन)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उपरो पावर कारपोरेशन लि०  
लखनऊ



उपरोक्त विवरण कोषागार में दिनांक 01.03.19

(कोषागार/आगार/आगार)

कोषागार/आगार/आगार



पत्र सं०

8089

12744

11-12

उपरोक्त/

दिनांक-01.03.19

कोषाधिकारी,

कोषागार, आगरा

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव राज सिंह सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण		अधिवर्षता	
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीओओ संख्या	6677	दिनांक 06.01.2015
(ग)	जन्मतिथि		15.02.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रेशम देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		11-03-1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		29-02-12
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32880
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19788
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छनहियाँ
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	171,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹	85550
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8089

12744

11-12

उपरोक्त/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा

2 श्री शिव राज सिंह, अधिशासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 252 पश्चिम पुरी, सिकन्दरा, आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा

को प्रेषित पत्रांक 9531 दिनांक- 01.03.19 के सापेक्ष सम्पन्न स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता वेबसाइट, उपरोक्त/कोषागार, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषागार, आगरा

दिनांक- 01.03.19



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8091

6500

1990-1991 उपरो/

दिनांक-01.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मदन कुमार

सेवानिवृत्त

मुख्य  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		9043	15.10.1992
(ग)	जन्मतिथि			06.07.1932
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती पदमा देवी गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			31.05.1937
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.1990
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड-पे-10000
(घ)	वेतन	₹		7100
(ङ)	मूल पेंशन	₹		25893
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		30832 (20 प्रतिशत अतिरिक्त सम्मिलित)
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			62 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		144200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		67731
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		72100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		दि० 01.01.2016 से दि० 05.07.2017 तक 20 प्रतिशत अतिरिक्त 14420/- एवं दि० 08.07.2017 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त 21630/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8091

6500

1990-1991 उपरो/

दिनांक-01.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री मदन कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-अपार्टमेंट नं०-115, डी०डी०ए०, एस०एफ०एस० हौज खास न्यू दिल्ली-16

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रों 9535 दिनांक-02.03.2019 के साथै सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वैबसाइट, उपरोपाकरणलि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

02/03/19



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8093

6504

1990-1991 उ०म०प्र०/

दिनांक-01.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शेफाली बनर्जी पत्नी स्व० मोला नाथ बनर्जी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9032 दिनांक 30.09.1992
(ग)	जन्मतिथि	02.04.1932
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शेफाली बनर्जी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1940
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.1990/11.08.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	3400-4750/10850-15200/15600-39100 ग्रेड-पे-6600
(घ)	वेतन	₹ 4375
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5082
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका न०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 80900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 24270
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8093

6504

1990-1991 उ०म०प्र०/

दिनांक-01.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
2. श्रीमती शेफाली बनर्जी पत्नी स्व० मोला नाथ बनर्जी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-628/सी-257, शक्ति नगर, फ़ैजाबाद रोड लखनऊ।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9537 दिनांक-02.03.2019 के सापेक्ष सम्बन्धित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8097

12729

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 01.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार मुरादाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री आनन्द सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5668 दिनांक 19.04.2012
(ग)	जन्मतिथि	15.12.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती निर्मल सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.01.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 72358
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51330
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ -

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदाय की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8097

12729

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-01.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, परिशोधन विद्युत वितरण निगम लि०, मुरादाबाद

2/ श्री आनन्द सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता एच०आई०जी०/ए 217, आशियाना फेस-1, कांठ रोड, मुरादाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुरादाबाद को प्रेषित पत्रांक 9656 दिनांक 05.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3/ अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० कारपोरेशन लि०, शांति भवन-1, लखनऊ।

05/03/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

विता निशा

कोषाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०  
लखनऊ





# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8098 10029 04-05 उ०म०प०/ दिनांक- 01.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार गोरखपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय प्रताप पाण्डेय सेवानिवृत्त लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण				
(क) पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख) पीपीओओ संख्या	2892	दिनांक	26.07.2004	
(ग) जन्मतिथि			01.07.1946	
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती विद्यावती पाण्डेय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				अंकित नहीं
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				30.06.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान				पॉचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)				37400-8900 ग्रेड पे 46300
(घ) वेतन		₹		20,000
(ङ) मूल पेंशन		₹		24295
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹		4746
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		19549
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		14577
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा				66 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)				13 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन		₹		1,39,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन				
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		69550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		69550
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹		4746
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाय		₹		64804
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		41730
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8098 10029 04-05 उ०म०प०/ दिनांक-01.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2. श्री विजय प्रताप पाण्डेय, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता मकान नं० 454, भु० आजाद चौक, रूस्तमपुर, गोरखपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक 9542 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प०को०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8089 12733 11-12 उपरो/ दिनांक- 01.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार सोनमद्र

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री पुरुषोत्तम दत्त तिवारी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	5635	दिनांक 19.03.2012
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राधा तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02.09.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	72358
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51330
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8089 12733 11-12 उपरो/ दिनांक-01.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, जल विद्युत संयंत्र खण्ड, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा, सोनमद्र
- श्री पुरुषोत्तम दत्त तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता मालनीय कांशीराम शहरी आवास विकास कालोनी के पास चोपन, पो० चोपन, जिला सोनमद्र को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सोनमद्र को प्रेषित पत्रांक 9543 दिनांक 01.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/कोषागार, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विभागाध्यक्ष

कोषागार

सोनमद्र

दिनांक 01.03.2019



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8100

12775

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 01.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार अलीगढ़

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5684	दिनांक	16.05.2012
(ग)	जन्मतिथि			10.03.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन		₹	65,960
(ङ)	मूल पेंशन		₹	32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹	13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन		₹	1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹	85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹	13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय		₹	72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अर्थात् उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रदत्त हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8100

12775

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-01.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण नियम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।

2. श्री राजेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता भकान नं० 5/136 ए-2, गौड़नगर, आई०टी०आई० रोड, बरौला चौराहा, अलीगढ़ (उ०प्र०)

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक 9524 दिनांक 01.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबरस्ट्रीट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

Handwritten signature and stamp of the Accounts Officer (Pension).



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8101

12776

11-12

उपग्रो /

दिनांक- 01.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री तकी हसन खान

सेवानिवृत्त

सहायक बैंकिंग  
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिषर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5690 दिनांक 15.05.2012
(ग)	जन्मतिथि	02.02.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आलम तकी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	18.10.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	29.02.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹ 55,080
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27540
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 11016
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 16524
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	27540 दि० 01.02.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16524
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,42,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 71350
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 71350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 11016
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ 60334
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ 71350 दि० 01.02.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 42810
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 0

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8101

12776

11-12

उपग्रो /

दिनांक-01.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री तकी हसन खान, सेवानिवृत्त सहायक बैंकिंग अधिकारी, पता शीश महल, मेन बिल्डिंग हुसैनाबाद चौक, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9545 दिनांक 01.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावर लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ  
उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उपरोक्त पावर कारपोरेशन लि०

(सं०) कारपोरेशन लि०

श्री अरूण सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता

कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ।



पत्र सं० 8102 11180 2006-2007 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 01.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरूण

सेवानिवृत्त

मुख्य  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
दि० 1-1-2016

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		3881	
(ग)	जन्मतिथि			
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती बिन्दू
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			20.11.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.11.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			67000-79000
(घ)	वेतन	₹		75,250
(ङ)	मूल पेंशन	₹		37625
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		15050
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22575
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		22575
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			53 शासन तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,99,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		99550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		99550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		15050
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		84500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		59730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8102 11180 2006-2007 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

अधिसारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री अरूण सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता :-1/304 विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9547 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ।



उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यालय

(संविधानात्मक कार्यवाही)

2004-2005

2004-2005

उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यालय



पत्र सं०

8109

10118

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:- 01.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रहलाद कुमार

सेवानिवृत्त

अधिसासी  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिसासी अभियन्ता	अध्यवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2841	दिनांक 29.10.2004
(ग)	जन्मतिथि		08.07.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती इन्दू अरोरा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		20.08.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400
(घ)	वेतन	₹	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3757
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23593
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		62 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	81150
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3757
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	77393
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8109

10118

2004-2005

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री प्रहलाद कुमार सेवानिवृत्त अधिसासी अभियन्ता, पत्ता-डी-107 साकेत, रेजीडेंसी अपार्टमेंट, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक 9564 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

पुनोज महरोत्रा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०म० पा० कार० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उपरोक्त कार्यवाही के लिए

(उपरोक्त कार्यवाही के लिए)

कार्यवाही के लिए

कार्यवाही के लिए



पत्र सं 8110 11034 2006-2007 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 01.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
बरेली

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम बाबू अग्रवाल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिबर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		13.09.2006
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3730	07.07.1948
(ग)	जन्मतिथि		श्रीमती शशि बाला अग्रवाल
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		15.08.1952
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		31.07.2006
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		छटा वेतनमान
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		37400-67000 (8900)
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		₹ 56,870
(घ)	वेतन		₹ 28435
(ङ)	मूल पेंशन		₹ 7402
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹ 21033
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		₹ 17061
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹ 66 छमाहियाँ
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,47,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 73800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 73800
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 73800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 7402
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ 66398
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं 8110 11034 2006-2007 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली।
- श्री राम बाबू अग्रवाल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ए-70, राजेन्द्र नगर, आवास विकास कालोनी, बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली को प्रेषित पत्रांक 9555 दिनांक 02.03.2019 के माध्यम से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/प०/क०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन खन्ना (संस्थापक)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र०/प०/क०/लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8111

6440

89-90

उपरो/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
1.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओ संख्या	8380	दिनांक 04.03.1991	
(ग)	जन्मतिथि			08.02.1932
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती आशा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			20.12.1939
2.	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			28.02.1990
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			6700-7500/21350-23975/63000-78000
(घ)	वेतन	₹		7,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹		37800
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		20100
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			छमाहियाँ 86
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			तालिका नं० 15
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,71,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		85700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		85700
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		85700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		85700
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		51420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		₹ 17140 दि० 01.01.2016 से 07.12.2017 तक तदुपरान्त ₹ 25710

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8111

6440

89-90

उपरो/ दिनांक:02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्ति मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता-एम-102, ग्रेटर कैलाश पार्ट-2, ग्रेटर कैलाश एम.ओ. ग्रेटर कैलाश, सारथ दिल्ली-110048।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक 9607 दिनांक: 05.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपाकाएलि, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

02/03/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)





# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8112

8286

1999-2000

उपरो/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, लखीमपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओंकार चन्द्र श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1004 दिनांक 06.05.2000
(ग)	जन्मतिथि	24.12.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	अंकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 19,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	₹ छमाहियाँ 66

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पें-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	₹	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	67500
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीकृत/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8112

8286

1999-2000

उपरो/ दिनांक 02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखीमपुर।

2. श्री ओंकार चन्द्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-84 प्रेम कुंज, काशी नगर, लखीमपुर खीरी, उत्तर-प्रदेश-282701।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार लखीमपुर।

को प्रेषित पत्रांक 9808 दिनांक 05.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपागारलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

02/03/19

कोषाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8113

8262

1999-2000

उ०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मन्जीत सिंह कौर पत्नी स्व० सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।  
रघुविन्दर सिंह

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	993 दिनांक 27.04.2000
(ग)	जन्मतिथि	18.10.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्रीमती मन्जीत सिंह कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	30.04.1947
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 54

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	₹ तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को सशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में अगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8113

8262

1999-2000

उ०प्र०/ दिनांक:02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी, गोविन्द नगर, कानपुर।

2. श्रीमती मन्जीत सिंह कौर पत्नी स्व० रघुविन्दर सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-एन-117, राजीव गाँधी लेन, शिवकटरा रोड, शिवकटरा, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर।

को प्रेषित पत्रांक 9609 दिनांक 05.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 02.03.2019

शिवकटरा, कानपुर।



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8114

8273

1999-2000

उ०म०प्र० /

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री भगवत प्रसाद सिंह

सेवानिवृत्त

मुख्य-अभियन्ता  
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या		943	22.02.2000
(ग)	जन्मतिथि			02.01.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती धर्मवती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			05.02.1955
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹		21,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,57,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		78800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹		78800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चालन न लिया जाये	₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		47280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8114

8273

1999-2000

उ०म०प्र० / दिनांक:02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री भगवत प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2, पता-3/205 विधायकपुरम, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9810 दिनांक 05.03.2019 के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक: 02/03/19

कोषाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENS(ON CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8115

8274

99-2000 उ०म०प्र० /

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शरद चन्द्र शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1029 दिनांक 29.05.2000
(ग)	जन्मतिथि	25.02.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 18,650
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	₹ छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	₹ तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अधवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8115

8274

99-2000

उ०म०प्र० / दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्गी, अलीगढ़।
- श्री शरद चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, द्वारा-बी-16 सिटी एन्कलेव कुमार गिरिग होम के सामने, रामघाट रोड, अलीगढ़।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़। को प्रेषित पत्रांक 9811 दिनांक 05.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

82103/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०म०प्र० / दिनांक-02.03.2019



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC02492B



पत्र सं०

8116

8278 1999-2000 उ०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

जैनेन्द्र कुमार सिंह

सेवानिवृत्त

अधिकासी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या	977	दिनांक 06.04.2000	
(ग)	जन्मतिथि			03.12.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			सुदेश सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.06.1951
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹		21,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14510
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		45900 लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8116

8278 1999-2000

उ०प्र०/ दिनांक:02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम,दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।

2. श्री जैनेन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-167, महर्षिपुरा, कालोनी सिकन्दरा, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा। को प्रेषित पत्रांक 9612 दिनांक 05.03.2019 के साप्स संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०कोषालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

सिकन्दरा, आगरा



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

8279 1999-2000 उ०प्र०/



दिनांक-02.03.2019

पत्र सं०

8117

कोषाधिकारी,

कोषागार, बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रतिमा देवी करगेती पत्नी स्व० उमेश चन्द्र करगेती सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1154 दिनांक 21.09.2000
(ग)	जन्मतिथि	01.03.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रतिमा देवी करगेती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	16.08.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	29.02.2000/13.08.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	8550-13500/9300-34800 ग्रेड पे-5400/6800
(घ)	वेतन	₹ 12,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 8407
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 09
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 73,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 36700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपर्युक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 22020
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अधवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8117

8279

1999-2000

उ०प्र०/ दिनांक:02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण नियम लि०, काटजू मार्ग, बरेली।

2. श्रीमती प्रतिमा देवी करगेती पत्नी स्व० उमेश चन्द्र करगेती, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, पता- प्लॉट नं०-05, सैनिक कालोनी (पीपल वृक्ष), निकट डेलापीर,

पो०आ०-इज्जतनगर, बरेली-243122।

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी कोषागार बरेली। को प्रेषित पत्रांक 9813 दिनांक: 05.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राकित भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

राकित भवन, लखनऊ



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8118

8329

99-2000

उपरो/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

अश्वनी कुमार खन्ना

सेवानिवृत्त

अधिकासी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओओ संख्या	3942 दिनांक 21.02.2007
(ग)	जन्मतिथि	19.10.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बिमला खन्ना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3758
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23592
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 62

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 71864
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 72100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3758
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संकलन न लिया जाये	₹ 68342 दि० 09.04.2022 तक तदुपरान्त 72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8118

8329

99-2000

उपरो/ दिनांक:02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिकासी अभियन्ता विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम, परिचमौवल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।

2 श्री अश्वनी कुमार खन्ना, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-14-ओल्ड सर्वे रोड, आपोजित कोठी औफ मेजर चन्द्र, देहरादून-248001।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर। को प्रेषित पत्रक 9814 दिनांक: 05.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपाकाउलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 02.03.2019

अंकित नहीं, 19-3-19



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8119

8331

99-2000

उ०म०प्र० /

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

विनोद कुमार शुक्ल

सेवानिवृत्त

मुख्य  
महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	987 दिनांक 18.04.2000
(ग)	जन्मतिथि	01.03.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती दया शुक्ल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.12.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	29.02.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	21350-23975/63000-78000
(घ)	वेतन	₹ 23,450
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31500
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 15
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,87,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 93850
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 93850
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 68190
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8119

8331

99-2000

उ०म०प्र० / दिनांक:02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री विनोद कुमार शुक्ल, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक, पता-507 कसमण्डा अपार्टमेंट, 2 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9615 दिनांक: 05.03.2018 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ





# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8120

8319

99-2000 उ०म०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार, इटावा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती वीरमती गुप्ता पत्नी स्व० कृष्ण मुरारी

सेवानिवृत्त

सहायक  
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1688 दिनांक 29.01.2002
(ग)	जन्मतिथि	26.01.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती वीरमती गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.07.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2000/25.02.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	10850-15200/15600-39100 ग्रेड पे-6600
(घ)	वेतन	₹ 13,250
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 8985
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 11
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 80,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 40450
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 24270
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8120

8319

99-2000

उ०म०प्र०/ दिनांक:02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता विद्युत वितरण खम्ब-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, इटावा।
- श्रीमती वीरमती गुप्ता पत्नी स्व० कृष्ण मुरारी, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-115, गांधी नगर बर्धना, इटावा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार इटावा। को प्रेषित पत्रांक 9818 दिनांक: 05.03.2019 के साथै सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

- अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकॉर्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

02/03/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8121

9776

2003-2004 उपग्रो/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दिनेश चन्द्र शर्मा

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2517	दिनांक 10.02.2004	
(ग)	जन्मतिथि			01.01.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शोभा शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.09.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे-10000
(घ)	वेतन	₹		22900
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		4570
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22780/- दि० 01.10.2018 तक तदुपरान्त 27350/-
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		167200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹		83600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		4570
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		79030/- दि०-01.10.2018 तक तदुपरान्त 83600/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का युगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के युगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8121

9776

2003-2004 उपग्रो/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन बिरतार लखनऊ।

2. श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-1/51, विसम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9597 दिनांक-05.03.2019 के साफत संपर्क स्थापित/कर युगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकॉर्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक-02.03.2019

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP19995GC024928



पत्र सं०

8122

6488

1990-1991 उ०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
हापुड़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुधारानी शर्मा पत्नी स्व० राजेन्द्र  
प्रसाद शर्मा

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	परिधि	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार			पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8069	दिनांक 28.04.1990	
(ग)	जन्मतिथि			22.11.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सुधारानी शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.01.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			08.11.1988
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	1650-2690 / 5300-8600 / 5300-34800		
(घ)	वेतन	₹		2120
(ङ)	मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		4218
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			39 छमाहियां

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			06 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		45200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		13560
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8122

6488

1990-1991 उ०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, हापुड़।
- श्रीमती सुधारानी शर्मा पत्नी स्व० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-233, जवाहर गंज, हापुड़।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार हापुड़ को प्रेषित पत्रांक 9598 दिनांक-05.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8123

8982

2001-2002 उ०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरी सिंह वर्मा

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1965 दिनांक 31.08.2002
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती हरदेवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300 ग्रेड-पे-8700
(घ)	वेतन	₹ 16300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 2227
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20823/- दि० 29.11.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	68 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 126800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख ए व ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 63400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 2227
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाय	₹ 61173/- दि० 29.11.2017 तक तदुपरान्त 63400/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8123 8982 2001-2002 उ०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़।

2 श्री हरी सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-गोंव-गोंखेड़ा, डाकखाना-मदौती, तहसील-अतरौली, जिला-अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

अलीगढ़

को प्रेषित पत्रांक 8599 दिनांक-05.03.2019 के सापेक्ष भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8124

6513

1990-1991 उ०ग०प०/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती श्रीमती श्रीवास्तव पत्नी स्व० हर  
प्रसाद श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	पारिवारिक पेंशन	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9832	06.03.1995
(ग)	जन्मतिथि		20.09.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती श्रीमती श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		16.07.1932
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.1989 / 02.03.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	2600-4000 / 8550-13500 / 9300-34800	ग्रेड-पे-5400
(घ)	वेतन	₹	2750
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	4235
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		09 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	59700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	17910
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.2016 से दि० 15.07.2017 तक 20 प्रतिशत अतिरिक्त 3582/- एवं दि० 16.07.2017 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त 5373/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8124

6513

1990-1991 उ०ग०प०/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०ग० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति मदन विस्तार लखनऊ।

2. श्रीमती श्रीमती श्रीवास्तव पत्नी स्व० हर प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-12/50, कैन्ट रोड, उदयपल लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9800 दिनांक-05.03.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण खर्च मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०ग०पा०का०लि०, शक्ति मदन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8125

12815

2012-2013 उ०म०म०/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कनयो कुंगवानी

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		5732	दिनांक 28.06.2012
(ग)	जन्मतिथि			26.05.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती नीलम कुंगवानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			03.03.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.05.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे-8900	
(घ)	वेतन	₹		65960
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32980
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹		13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			32980/- दि० 25.05.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		171100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एव ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹		85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		85550/- दि० 25.05.2019
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		51330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8125

12815

2012-2013 उ०म०म०/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणार्ध विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी गोविन्द नगर, कानपुर।

2. श्री कनयो कुंगवानी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-प्लॉट नं०-18, प्र० आस्था फेज-2, शारत्री नगर, कानपुर-208005

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्रांक 9801 दिनांक-05.03.2019 के अन्तर्गत संशोधित कर

भुगतान प्राप्त करे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० पा० कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ

लेखाधिकारी (पेंशन)

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०पा०कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8126

6422

1989-1990 उपग्रो/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
हरिद्वार।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री कौलाश कुमार अग्रवाल

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीओओ संख्या	8307	26.12.1990
(ग)	जन्मतिथि		25.12.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुशीला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)	2600-4000 / 15600-39100	ग्रेड-पे-5400
(घ)	वेतन	₹	3000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	13578 (20 प्रतिशत अतिरिक्त सम्मिलित)
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	13578
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	63100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	31550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	31550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	31550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	18930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.2016 से दि० 30.11.2016 तक 20 प्रतिशत अतिरिक्त 8310/- एवं दि० 01.12.2016 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त 9465/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8126

6422

1989-1990 उपग्रो/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्री कौलाश कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-122/2, सोलानी पुरम, रुड़की जनपद-हरिद्वार।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

हरिद्वार

को प्रेषित पत्रांक 9602 दिनांक-05.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित करी।  
भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लिओ

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8127

12902

2012-2013 उ०म०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री ब्रजमोहन गौड़ सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिर्वर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5934 दिनांक 31.12.2012
(ग)	जन्मतिथि	10.07.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती साधना गौड़
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	09.03.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	34700-67000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 67940
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 33970
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13588
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20382
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 33970/- दि० 09.07.2007 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20382
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां

## 3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 176200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 88100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13588
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 74512
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 88100/- दि० 09.07.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 52860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8127

12902

2012-2013 उ०म०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिओ, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्री ब्रजमोहन गौड़, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-द्वारा श्री पंकज वर्मा, कृष्णा आर्चिड, गोवर्धन रोड, मथुरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ लखनऊ।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लिओ, शक्ति भवन, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9603 दिनांक-05.03.2018 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8128

12904

2012-2013 उपरो/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम विनोद शर्मा

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या	5918	दिनांक 14.12.2012	
(ग)	जन्मतिथि			01.02.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शशीबाला शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 ग्रेड-पे-5400	
(घ)	वेतन	₹		31580
(ङ)	मूल पेंशन	₹		15790
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		6316
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		9474
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		15790/- दि० 31.01.2017 तक	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		9474
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		82400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		41200
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		41200
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹		41200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		6316
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		34084
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	41200/- दि० 31.01.2019 तक	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		24720
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8128

12904

2012-2013 उपरो/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली।
- 2 श्री राम विनोद शर्मा, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-241-ए, चौधरी मोहल्ला, निकट मन्दिरा मन्दिर, बरेली।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार बरेली।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपाकरणलि०, राक्ति भवन, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9604 दिनांक-05.03.2019 के समस्त समर्थ स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें। 02/03/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड  
शक्ति भवन, लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8129

12906

2012-2013 उ०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अहमद शेर

सेवानिवृत्त

ऐशमैन कम  
कोलमैन

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5770	03.09.2012	
(ग)	जन्मतिथि			14.06.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती साहिला खारून
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800	ग्रेड-पे-4200	
(घ)	वेतन	₹		19480
(ङ)	मूल पेंशन	₹		9740
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		3896
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		5844
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			9740/- दि० 13.06.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		5844
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियां	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		06 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		50900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		25450
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		25450
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		25450
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		3896
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		21554
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		25450/- दि० 13.06.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		15270
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8129

12906

2012-2013 उ०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्री अहमद शेर, सेवानिवृत्त ऐशमैन कम कोलमैन, पता-ग्राम सिधौंशवा, मलिहाबाद, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ  
लखनऊ।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9605 दिनांक-05.03.2019 के सामेल सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें। 02/03/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ  
लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8130

12896

2012-2013 उ०म०प०/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शकील उज्जमा सफवी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या	5848	03.10.2012	
(ग)	जन्मतिथि			05.06.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती फरहदीहा सफवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹		65960
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			32980/- दि० 04.06.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		171100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं 85550/-
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		85550/- दि० 04.06.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		51330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8130 12896 2012-2013 उ०म०प०/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्री शकील उज्जमा सफवी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-89, शादाब कालोनी, विकास नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9606 दिनांक-05.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प० पावर कारपोरेशन लि० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं० 8131 11754 2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चन्द्र कुमार गुप्ता

सेवानिवृत्त

मुख्य  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4684	30.11.2009
(ग)	जन्मतिथि		03.10.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती नीरजा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		07.07.1953
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000(10000)
(घ)	वेतन	₹	71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹	35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12964
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22896
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	21516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,88,200
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	94100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12964
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	81136
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8131 11754 2009-2010 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री चन्द्र कुमार गुप्ता सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-12/705, इन्दिरा नगर, लखनऊ।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9618 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोज महरोत्रा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
लखनऊ



उपरोक्त पत्रांक 9619 दिनांक 02.03.2019



पत्र सं० 8132 12549 2011-2012 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विक्रम कुमार

सेवानिवृत्त

अधीक्षण  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिषर्षता	दिनांक	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार			25.08.2011
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		5412	14.04.1949
(ग)	जन्मतिथि			
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती रंजना श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			30.09.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.04.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000(10000)
(घ)	वेतन	₹		69,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹		34815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12068
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22747
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		20889
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,82,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		94990
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		91350
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		84300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		12068
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		79282
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		54810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8132 12549 2011-2012 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री विक्रम कुमार सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता :-38, शिवाजी, इन्बलेव सी०-ब्लॉक, इन्द्रानगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9619 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/प०/का०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोज मेहरोत्रा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उत्तर प्रदेश कायदा संशोधन विभाग

(संशोधन विभाग)

उत्तर प्रदेश कायदा संशोधन विभाग

उत्तर प्रदेश कायदा संशोधन विभाग

उत्तर प्रदेश कायदा संशोधन विभाग



पत्र सं० 8133 12545 2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गिरीश प्रसाद सिंह

सेवानिवृत्त

अधिशारी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5634	19.03.2012
(ग)	जन्मतिथि		15.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती ऊषा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.11.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)		37400-67000(10000)
(घ)	वेतन	₹	73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹	36940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	96900
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	82124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8133 12545 2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री गिरीश प्रसाद सिंह सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त अभियन्ता, पता :- ए-1/4 विनय कुंज अपार्टमेंट, चन्द्रिका नगर, बस्ती, सिंगरा, छिन्तपुर, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9620 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3. अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोज मुहारात्रा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन)

राज्य शासन, लखनऊ

पत्ता : - 30-खिन्नी तला, निकट डा० मुस्लिम, रायबरेली-229001.

फोन : 2222222, 2222222, 2222222



पत्र सं० 8134 12576 2011-2012 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सनाउल्ला फारूकी

सेवानिवृत्त

समीक्षा  
अधिकारी,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		5423	
(ग)	जन्मतिथि			03.09.2011
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			10.07.1951
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			श्रीमती तस्नीम फात्मा
				16.04.1959
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000(8700)
(घ)	वेतन	₹		56,420
(ङ)	मूल पेंशन	₹		28210
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		11016
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		17194
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18926
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,47,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		73500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		73500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		11016
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जायें	₹		62484
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		44100
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8134 12576 2011-2012 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री सनाउल्ला फारूकी सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, पता :- 30-खिन्नी तला, निकट डा० मुस्लिम, रायबरेली-229001.

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9621 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोज महेश्वरी  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
शक्ति भवन, लखनऊ



उपरोक्त मानस स्वास्थ्य सेवा दि०

(उपरोक्त मानस स्वास्थ्य सेवा)

(उपरोक्त मानस स्वास्थ्य सेवा)

(उपरोक्त मानस स्वास्थ्य सेवा)



पत्र सं० 8135 12544 2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती उपमा चित्राशी पत्नी स्व० युगुल किशोर चित्राशी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	सेवानिवृत्त	सहायक अभियन्ता	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
(क) पेंशन का प्रकार			पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या		5534	दिनांक 20.12.2011
(ग) जन्मतिथि			10.09.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती उपमा चित्राशी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			14.11.1959
2(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.09.2011/09.01.2012
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000(8900)
(घ) वेतन		₹	60,960
(ङ) मूल पेंशन		₹	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			₹ 30480/- दि० 09.09.16
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	18280
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ
3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन		₹	1,61,300
4 प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ		₹	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	₹ 80650/- दि० 09.09.18 तक
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8135 12544 2011-2012 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती उपमा चित्राशी पत्नी स्व० युगुल किशोर चित्राशी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता :- 068 एम०एन०जी०, मानस नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226023, को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9622 दिनांक 02.03.2019 के मापेस सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन बिहारी वर्मा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ





उ०प्र० शासन कार्यालय, लखनऊ

(सं०३०) सहायक लेखाकार

सहायक लेखाकार, पता :- मोघा भवन, रानी बाजार, सहारनपुर।



पत्र सं० 8136 6190 1987-1988 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
सहारनपुर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती इन्द्र कुमारी मोघा पत्नी स्व० रामरक्ष पाल मोघा सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8726	दिनांक 09.01.1992
(ग)	जन्मतिथि		15.01.1929
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती इन्द्र कुमारी मोघा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		30.11.1928
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.1987/09.03.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		1650-2690/9300-34000(4200)
(घ)	वेतन	₹	2,240
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	3500
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		28 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		06 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	48,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-44 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		दि० 01.01.16 से 30 प्रतिशत ₹ 4320/- तक दि० 01.11.18 से 40 प्रतिशत ₹ अतिरिक्त ₹ 5760/-
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	14400
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8136 6190 1987-1988 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचरमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।
- श्रीमती इन्द्र कुमारी मोघा पत्नी स्व० रामरक्ष पाल मोघा सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार, पता :- मोघा भवन, रानी बाजार, सहारनपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर को प्रेषित पत्रांक 9623 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० कार्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उत्तर प्रदेश सरकार

(U.P. Government)

Bihar Government

Bihar Government

Bihar Government



पत्र सं० 8138 10860 2004-2005 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
फैजाबाद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व इन्द्रदेव राम सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	पारिवारिक पेंशन
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	3538 दिनांक
(ग) जन्मतिथि	17.04.2006
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमला देवी
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	25.03.1965
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	24.11.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-20000 (8900)
(घ) वेतन	₹ 20,000
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13890
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0
3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुवृत्ति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुवृत्ति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8138 10860 2004-2005 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, फैजाबाद।

2 श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व इन्द्रदेव राम सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता :- म० नं०-886, अवधपुरी, आवास विकास कालोनी, फैजाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फैजाबाद को प्रेषित पत्रांक 9625 दिनांक 03.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें। मदन विहारी वर्मा

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० विद्युत वितरण निगम)

112, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

112, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

112, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100



पत्र सं० 8139 10851 2005-2006 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

सेवानिवृत्त

लेखाकार,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4490	26.07.2009
(ग)	जन्मतिथि		13.02.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अंजना पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.07.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		14300-18300 (8700)
(घ)	वेतन	₹	17,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3916
(छ.)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19134
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,34,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3916
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	63334
(छ.)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8139 10851 2005-2006 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय सेवानिवृत्त लेखाकार, पता :-295/288, अशफाबाद, लखनऊ।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9626 दिनांक 03.03.2019 के सापेक्ष समूह स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन बिहारी वर्मा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



संघीय शासन कार्यालय बरेली

संघीय पेंशन निगम लि.

संघीय पेंशन निगम लि.

संघीय पेंशन निगम लि.

संघीय पेंशन निगम लि.



पत्र सं० 8140 10857 2005-2006 सं०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती संख्या रानी पत्नी स्व० वीरेन्द्र कुमार वैश्य सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	सेवानिवृत्त	अधिशासी अभियन्ता,	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
(क) पेंशन का प्रकार			पारिवारिक पेंशन
(ख) पीपीओ संख्या	3569	दिनांक	28.05.2006
(ग) जन्मतिथि			21.12.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती संख्या रानी वैश्य
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			03.01.1953
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			27.10.2005/19.07.2013
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-67000(10000)
(घ) वेतन		₹	22,400
(ङ) मूल पेंशन		₹	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	16410
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			0
3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन		₹	1,62,300
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹	लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय		₹	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	48690
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8140 10857 2005-2006 सं०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली।

2. श्रीमती संख्या रानी पत्नी स्व० वीरेन्द्र कुमार वैश्य सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता :-सी०/ओ० बरेली स्टेशनर्स 96, मेमोदा टोला बड़ा बाजार, बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली को प्रेषित पत्रांक 9627 दिनांक 03.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, सं०म०प्र०/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनाज मेहरात्रा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
सं०म० प्र० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं०

8142

9984

2004-2005

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

मुजफ्फरनगर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वेद प्रकाश वर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	2852 दिनांक
(ग)	जन्मतिथि	30.10.2004
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	28.03.1946
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	श्रीमती राजबाला
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	21.08.1949
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	31.03.2004
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	पंचम वेतनमान
(घ)	वेतन	37400-67000(8900)
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 20,000
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 23150
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 3040
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 20110
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	₹ 13890
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	66 छमाहियाँ

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3040
(घ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भ्रम पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ 66510
(च)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में अंगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8142

9984

2004-2005

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम,परिचमौवल विद्युत वितरण निगम लि०,मुजफ्फरनगर।

2. श्री वेद प्रकाश वर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता :-मो० कवि नगर डा० सूदबाली गली, मुरादाबाद रोड, डा०काशीपुर जिला-उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुजफ्फरनगर को प्रेषित पत्रांक 9628 दिनांक 03.03.2019 के सम्मेलन समर्पक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन विहारी वर्मा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पा० लेखा/पेंशन वि०

सहायक अभियन्ता

कोषाधिकारी, कोषागार, सोनमद



पत्र सं० 8143 9912 2004-2005 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
सोनमद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6696	दिनांक 21.01.2015
(ग)	जन्मतिथि		25.10.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती यशोदा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000(8900)
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुक्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुक्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8143 9912 2004-2005 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप मुख्य लेखाधिकारी, अनपरा तापीय परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगत लि०, अनपरा (सोनमद)।

2. श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता :- यशोदा बवन, परासी सिनेमा रोड, पो०-अनपरा, जिना-सोनमद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सोनमद को प्रेषित पत्रांक 9629 दिनांक 03.03.2019 के साथ

3. अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

*(Signature)*  
मुख्य लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० का लि०, शक्ति भवन, लखनऊ  
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० कार्यालय कोषागार)

Bihar Power Corporation Limited

Office: Khasa Nagar, Patna

Phone: 2312201



पत्र सं० 8144 8838 2001-2002 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्रीश चन्द्र दुबे सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	सेवानिवृत्त	अधिशासी अभियन्ता,	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
(क) पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	1536	दिनांक	31.08.2001
(ग) जन्मतिथि			29.07.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (10000)
(घ) वेतन		₹	21,400
(ङ) मूल पेंशन		₹	27350
(च) पेंशन का राशिकृत भाग		₹	3660
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹	23690
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन		₹	1,53,000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹	76500
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹	76500
(ङ) राशिकृत पेंशन		₹	3660
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये		₹	72840
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8144 8838 2001-2002 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री श्रीश चन्द्र दुबे सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता पता :-4/452, विकास नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9630 दिनांक 03.03.2019 के साथै सम्पूर्ण स्थापित कर

3. अधिशासी अभियन्ता, वेवसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मुगतान प्राप्त कर  
संवेदन बिहारी वर्मा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० कार० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं० 8145 10135 2004-2005 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एव तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शशी अग्रवाल पत्नी स्व० देवेन्द्र कुमार अग्रवाल सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	पारिवारिक पेंशन
(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	3306 दिनांक 27.10.2005
(ग) जन्मतिथि	13.12.1946
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शशि बाला
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	21.11.1950
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2004
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	21350-23975
(घ) वेतन	₹ 22,925
(ङ) मूल पेंशन	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18900
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,81,800
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 54540
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8145 10135 2004-2005 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचरमौजल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2. श्रीमती शशी अग्रवाल पत्नी स्व० देवेन्द्र कुमार अग्रवाल सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबन्धक पता :-9 ए, तिरुपति गार्डन कालोनी, रूड़की रोड, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक 9631 दिनांक 03.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/पा०/का०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन बिहारी वर्मा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० का० दि०  
शक्ति भवन, लखनऊ





उद्योगिक पेंशन कारपोरेशन लि०

(उ०प्र०) सरकारी (उ०प्र०)

पेंशन के अन्तर्गत

पेंशन के अन्तर्गत

पेंशन के अन्तर्गत



पत्र सं० 8146 10853 2005-2006 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम मे निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक  
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिर्वर्षता	दिनांक	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		3757	27.09.2006
(ग)	जन्मतिथि			09.02.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती गीता गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			28.02.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹		53,660
(ङ)	मूल पेंशन	₹		26830
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		6612
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20218
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16098
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,38,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6612
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	62638
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8146 10853 2005-2006 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिरासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
- श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी पता :-225 महर्षि पुरम, अमर उजाला प्रेस के पीछे बाईपास रोड, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक 9632 दिनांक 03.03.2019 के सापेक्ष स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/प०/क०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

मदन बिहारी वर्मा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उत्तर प्रदेश कायदा संशोधन विभाग

(उत्तर प्रदेश कायदा संशोधन विभाग)



पत्र सं० 8148 8475 2000-2001 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जय प्रकाश शर्मा

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता  
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	1115	दिनांक	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार				23.08.2000
(ख)	पीपीओओ संख्या				01.07.1942
(ग)	जन्मतिथि				श्रीमती संतोष शर्मा
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				19.12.1945
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				30.06.2000
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				पंचम वेतनमान
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				37400-67000 (10000)
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)				21.900
(घ)	वेतन	₹			27350
(ङ)	मूल पेंशन	₹			पुनस्थापित
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹			27350
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹			16410
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹			1,57,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन				
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			78800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹			78800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹			पुनस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹			78800
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			47280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगताल वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगताल के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8148 8475 2000-2001 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- 2 श्री जय प्रकाश शर्मा सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता :-ओर०-13/75, राजनगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 9634 दिनांक 03.03.2019 के माफ़े सम्पर्क स्थापित कर मुगताल प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/पा०/का०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन बिहारी वर्मा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

(Pension/Retirement)

श्री राम सुरेश मिश्र

सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता

पत्र सं 8149 12903 2012-2013 उम0प्र0/लेखा/पेंशन दिनांक- 02.03.2019



कोषाधिकारी, कोषागार,  
प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम सुरेश मिश्र

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिबर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5806 दिनांक 07.09.2012
(ग)	जन्मतिथि	03.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरोज देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	26.05.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (6900)
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं 8149 12903 2012-2013 उम0प्र0/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वत विद्युत वितरण नियम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।

2. श्री राम सुरेश मिश्र सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता :-एफ०सी०आई० मार्ग, मछली गेट के सामने, नयी बस्ती चाका, पी०-नैनी, प्रयागराज।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 9635 दिनांक 03.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उम0प्र0का0लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मुगतान प्रारम्भिक विहारी वमा  
अधिकारी (पेंशन)  
कोषाधिकारी (पेंशन)  
2/3/19



पत्र सं 8150 12850 2012-2013 उम0प्र0/लेखा/पेंशन दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
उन्नाव

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री संजीवन लाल सोनकर

सेवानिवृत्त

सहायक  
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	5951	21.01.2013
(ग)	जन्मतिथि		07.02.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शकुन्ता देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.08.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		29.02.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000(8700)
(घ)	वेतन	₹	50390
(ङ)	मूल पेंशन	₹	(5 प्रतिशत कटौती के उपरान्त दि0 31.05.2013 से) ₹0 23936/-दि0 31.05.13
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10078
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	13858
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15117
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका सं0
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,30,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	(5 प्रतिशत कटौती के उपरान्त) 62035
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10078
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	51957
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं 8150 12850 2012-2013 उम0प्र0/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण नियम लि0, उन्नाव।

2. श्री संजीवन लाल सोनकर सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता :-एम0आई0जी0-ए0-42, विश्व बैंक कालोनी, करही रोड, बर्रा कानपुर।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार उन्नाव को प्रेषित पत्रांक 9635-A दिनांक 06.03.2019 के साथै सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उम0प्र0/लेखा/पेंशन शक्ति भवन, उन्नाव।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited



पत्र सं० 8151 12851 2012-2013 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सौरभ

सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5846	दिनांक	29.09.2012
(ग)	जन्मतिथि			12.08.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती नूतन सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			08.12.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.08.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)			37400-67000(10000)
(घ)	वेतन	₹		77000
(ङ)	मूल पेंशन	₹		38500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		15400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		23100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			₹ 38500/-दि० 11.08.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		23100
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	84400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 99800/-दि० 11.08.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8151 12851 2012-2013 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री सौरभ सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता :-10/168, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9636 दिनांक 03.03.2019 के सम्पर्क सूचना स्थापित कर भुगतान प्राप्तकरे।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8152

13087

12-13

उ०म०प०/

दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रदीप कुमार मित्तल

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6126	दिनांक	08.07.2013
(ग)	जन्मतिथि			01.07.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती वीना मित्तल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			12.03.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹		77,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹		38500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		15400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		23100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		23100
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹		99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		15400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹		84400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का सुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के सुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8152

13087

12-13

उ०म०प०/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री प्रदीप कुमार मित्तल, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता 903, मिलेनियम टावर, ओमेका हाइट्स, विभूति खण्ड, योगती नगर, लखनऊ 226010

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9637 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर सुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

02/03/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प० पावर कारपोरेशन लि०  
लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8158

12724

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार आजमगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती आशा पाण्डेय पत्नी स्व० दिलीप कुमार पाण्डेय सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5711 दिनांक 07.06.2012
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1959
(ध)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा पाण्डेय
(इ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.08.1963
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	03.08.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 63,110
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	31555 दि० 02.08.2021 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18933
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 81150 दि० 02.08.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ -

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8158

12724

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, आजमगढ़
- श्रीमती आशा पाण्डेय पत्नी स्व० दिलीप कुमार पाण्डेय, (दिवंगत) अधिशासी अभियन्ता, पता विद्युत 400 के०वी० उपकेंद्र, हाफिजपुर, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आजमगढ़ को प्रेषित पत्रांक 9643 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनोज मेहता  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० का० लि०  
राजिंदर, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8159 12733 11-12 उ०म०प्र०/

दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम केवल

सेवानिवृत्त

फैरोबाय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	टिप्पणी
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5595	दिनांक 08.02.2012
(ग)	जन्मतिथि		26.12.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बिट्टन देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹	20,820
(ङ)	मूल पेंशन	₹	10410
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4164
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	6246
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		10410 दि० 25.12.2016 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	6246
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		6 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	54,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	27000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	27000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4164
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	22836
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	27000 दि० 25.12.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	16200
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8159 12733 11-12 उ०म०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री राम केवल, सेवानिवृत्त फैरोबाय, पता 2/208, विनाय खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9644 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनोज मेहरोत्रा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ





# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8160

12734

11-12

उपग्रो /

दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश चन्द्र

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	5661 दिनांक 12.04.2012
(ग)	जन्मतिथि	24.11.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मिथलेश निगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.08.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12068
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18102
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12068
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 66232
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ -

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8160

12734

11-12

उपग्रो /

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री सुरेश चन्द्र, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 255/75(क), कुन्धी रकाबगंज, तिकोना पार्क के सामने, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9645 दिनांक 02.03.2019 के साफ़ेस सत्यर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनोज मेहरोत्रा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8181

12754

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती नारायण देवी

सेवानिवृत्त

अनुश्रेष्ठक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	टिप्पणी
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5611 दिनांक 29.02.2012	
(ग)	जन्मतिथि	12.01.1952	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹	16,330
(ङ)	मूल पेंशन	₹	8185
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3266
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	4899
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियों	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	6 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	42,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	21300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	21300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3266
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	18034
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का युगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के युगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8181

12754

11-12

उ०प्र०/


दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, रेजीडेन्सी, लेसा, लखनऊ।
- श्रीमती नारायण देवी, सेवानिवृत्त अनुश्रेष्ठक, पता मकान नं० 537म/451, भरत नगर, गड़ियाँव सीतापुर रोड, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9646 दिनांक 02.03.2019 के साप्सेस सम्यक् स्थापित कर युगतान प्राप्त करें।

- अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

  
 21/3/19  
 लेखाधिकारी (पेंशन)  
 मदन विहारी वर्मा  
 लेखाधिकारी (पेंशन)  
 उ०प्र० पा० का० लि०  
 शांति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8162

12716

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कामता प्रसाद

सेवानिवृत्त

अधिशाली  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	टिप्पणी
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5742	दिनांक 09.07.2012
(ग)	जन्मतिथि		25.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8162

12716

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री कामता प्रसाद, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता एफ-277, राजाजीपुरम, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9647 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनोव मेहरोत्रा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8163

12722

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विकास दत्त त्रिपाठी

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5599 दिनांक 17.02.2012
(ग)	जन्मतिथि	20.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ऊषा त्रिपाठी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹ 60,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 30355
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12142
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18213
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	30355 दि० 19.01.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18213
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियों

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,60,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 80300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 80300
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 80300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12142
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ 68158
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 80300 दि० 19.01.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ -

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 28.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-99 दिनांक 28.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8163

12722

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री विकास दत्त त्रिपाठी, लेखाकार सेवानिवृत्त, पता ग० नं० 265, हिन्दू नगर, कानपुर रोड, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रोंक 8848 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

मनोज महरोत्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8164 12725 11-12 उ०म०प्र०/ दिनांक-- 02.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मीरा अग्रवाल पत्नी स्व० राजीव अग्रवाल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5614 दिनांक 02.03.2012
(ग)	जन्मतिथि	21.01.1961
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीरा अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	06.02.1964
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	02.07.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 61,270
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 30635 दि० 01.07.2021 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18381
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छनहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,57,600
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 78800 दि० 01.07.2021 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 47280
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ -

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8164 12725 11-12 उ०म०प्र०/ दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)
- श्रीमती मीरा अग्रवाल पत्नी स्व० राजीव अग्रवाल, सहायक अभियन्ता (दिवंगत), परा मकान नं० 133, शिवकुला अपार्टमेंट, सेक्टर-51, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक 9849 दिनांक 03.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०पा०का०लि०, रांजित नगर, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
श्रीमती मिश्रा

कोषाधिकारी (पेंशन)  
उ०म०पा० कारपोरेशन लि०  
रांजित नगर, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8185 12670 11-12 उ०प्र०/ दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सत्येन्द्र कुमार राजपूत सेवानिवृत्त अधिशासी अनियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6261	दिनांक	11.10.2013
(ग)	जन्मतिथि			01.12.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती कमलेश कुमारी राजपूत
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			26.07.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.11.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹		73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹		36940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			36940 दि० 30.11.2016 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹		96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		82124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		96900 दि० 30.11.2016 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुवृत्ति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8185 12670 11-12 उ०प्र०/ दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अनियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण नियम लि०, गाजियाबाद
- श्री सत्येन्द्र कुमार राजपूत, सेवानिवृत्त अधिशासी अनियन्ता, पता फ्लैट नं० ए-3, कृष्णा आवास 5/120, राजनगर, गाजियाबाद  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रोंक 9650 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अनियन्ता, देवसाइड, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, राफा गल, लखनऊ-1

लेखाधिकारी (पेंशन)

रवीन्द्र कुमार शर्मा, लेखाधिकारी (पेंशन)  
कोषागार, गाजियाबाद



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8166 12665 11-12 उ०प्र०/ दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गोपाल मोहन खरे सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	(स्वैच्छिक)	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5520	दिनांक 14.12.2011
(ग)	जन्मतिथि		16.02.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राजश्री खरे
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		28.09.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		(स्वैच्छिक) 31.07.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठें वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	76,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15220
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22830
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15220
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	84580
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8166 12665 11-12 उ०प्र०/ दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री गोपाल मोहन खरे, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता 7/202 दीपक, सहारा स्टेट, जानकीपुरम, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9851 दिनांक 03.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

25/03/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC02492B

पत्र सं० 8157 12783 11-12 उ०प्र०/ दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री महेश कुमार सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5673 दिनांक 01.05.2012
(ग)	जन्मतिथि	01.03.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मधु अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	06.06.1963
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 36940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण मांग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 82124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ -

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8157 12783 11-12 उ०प्र०/ दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री महेश कुमार, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता 362 मोती नगर, लखनऊ 226004

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9652 दिनांक 05.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

श्रीमती मिश्रा

कोषाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ





# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8168

12797

12-13

उपग्रो /

दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह

सेवानिवृत्त

अनुसूचक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5733	दिनांक	27.06.2012
(ग)	जन्मतिथि			15.05.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती फुलपत्ती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			21.02.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.05.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			93000-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹		19,820
(ङ)	मूल पेंशन	₹		9910
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		3964
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		5846
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			9910 दि० 14.05.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		5946
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		6 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		52,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		26200
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूढी)	₹		26200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		3964
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		22236
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		26200 दि० 14.05.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		15720
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8168

12797

12-13

उपग्रो /

दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अनुसूचक, पता मकान नं० 4, शिवम नगर, कृष्णानगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9853 दिनांक 05.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावर लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

15/03/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
कोषागार

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8168 12682 11-12 उ०प्र०/ दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री कल्लू राम

सेवानिवृत्त

अनुसेवक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5517	दिनांक	07.12.2011
(ग)	जन्मतिथि			20.10.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिदंगत तिथि			31.10.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			8300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹		20,150
(ङ)	मूल पेंशन	₹		10075
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		4030
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		8045
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		6 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		52,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		26200
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		26200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		4030
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		22170
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8168 12682 11-12 उ०प्र०/ दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभिवन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री कल्लू राम, अनुसेवक सेवानिवृत्त, पता ग्राम रवानीपुर, पोस्ट रायपुर देव सिंह, जिला सीतापुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9652 दिनांक 05.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभिवन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
लखनऊ



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8170 12681 11-12 उपग्रो/ दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चन्द्रमान सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5699	दिनांक	02.06.2012
(ग)	जन्मतिथि			01.12.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती अन्नपूर्णा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			14.04.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.11.2017
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			लागू नहीं
(घ)	वेतन	₹		65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹		85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		51330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीकृत/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर उदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8170 12681 11-12 उपग्रो/ दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री चन्द्र मान, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता म० नं० एच-108, साउथ सिटी, शारदा नगर आवासीय योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ (उपग्रो)  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9855 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

Handwritten signature and stamp of the Accounts Officer (Pension).



**उत्प्रो पावर कारपोरेशन लि०**

(उत्प्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पंजीकरण सं. CIN: U3220 UP1997 GIC024928



पत्र सं० 8171 12678 11-12 उ०म० प्र० /

दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-231 नांक 11.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.18 के अन्तर्गत

श्री राम रतन सोलंकी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता कः पेंशन, शिवािक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	विवरण	अधि र्षता	दिनांक	अधि र्षता
1.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क)	पेंशन का प्रकार			अधि र्षता
(ख)	पीओओओ संख्या	5551	दि० 0.01.2012	
(ग)	जन्मतिथि			20.10.1957
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती आशा रानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			20.03.1954
2.	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.10.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8800
(घ)	वेतन	₹		65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32800
(च)	पेंशन का शिशिकृत नाम	₹		13192
(क)	शिशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19788
(ख)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19788
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 घन्टे
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	चयनोक्त का रूप में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (शिशिकरण से पूर्व)	₹		85550
(ङ)	शिशिकृत पेंशन	₹		13192
(च)	शिशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि शिशिकरण में पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान में लिया जाये	₹		72358
(क)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ख)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		51330
(ङ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 29.11.2017 उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ख) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासनादेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-231 नांक 11.07.2017 के अन्तर्गत पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.18 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/शिशिकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में पुनरीक्षण जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8171 12678 11-12 उ०म० प्र० / दिनांक-05.03.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -  
अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिण-पश्चिम विद्युत प्रणाली, कोषागार कानपुर



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13142

13-14

उपग्रो /

दिनांक- 02-03-19

कोषाधिकारी,

कोषागार शाहजहाँपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कदीर अहमद

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	6096	दिनांक 07.06.2013
(ग)	जन्मतिथि		27.06.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सरताज बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		20.04.1962
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400/67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18648
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		31080 दि० 26.06.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग/घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	₹	68218
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	80650 दि० 26.06.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

8176

13142

13-14

उपग्रो /

दिनांक-

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, शाहजहाँपुर
- श्री कदीर अहमद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता लाल ईमली चौराहा, मौ० बाहुजई प्रथम, जिला शाहजहाँपुर -241201/10231 14-3-19 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार शाहजहाँपुर को प्रेषित पत्रांक के सापेक्ष सम्यक स्थापित का भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०  
शाहजहाँपुर



उ०प्र० आर० कारपोरेशन लि०

(2017-18) (2017-18) (2017-18)



पत्र सं०

7543

1996-1997

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

02-03-19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
वाराणसी।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

मुख्य  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	618	20.02.1999
(ग)	जन्मतिथि		02.07.1938
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्री शशि श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		03.11.1943
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	74200
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8180

7543

1996-1997

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।

2 श्री गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-डी-64/-127, ए-5, सिंगरा, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक 10601 दिनांक 25.3.19 के सापेक्ष सम्यक रूप से भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/पत्रांक/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

श्री ३ कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० आर० कारपोरेशन लि०  
वाराणसी, उ०प्र०



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9223

02-03

उपग्रो/

दिनांक- 02-03-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मिथिलेश शर्मा पत्नी स्व० यादराम शर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	2018	दिनांक	19.10.2002	11.07.1944	श्रीमती मिथिलेश शर्मा
(क)	पेंशन का प्रकार					अधिवर्धता/पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या					
(ग)	जन्मतिथि					
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम					
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि					30.12.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि					31.07.2002/22.01.2016
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान					पौंचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)					16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹				20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹				24295 दि० 14.05.15 से 22.01.16 तक
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹				3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹				21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर					लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹				14577 दि० 23.01.2016 से
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा					66 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)					13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹				1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन					
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹				69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹				लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹				लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹				लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹				69550 दि० 01.01.16 से 22.01.16 तक
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹				3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹				66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹				लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹				41730 दि० 23.01.2016 से
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹				लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8196

9223

02-03

उपग्रो/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूचनी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती मिथिलेश शर्मा पत्नी स्व० यादराम शर्मा, सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत्त/दिवंगत), पता 628/एम०-33, मुरारी नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10274 दिनांक 15-3-19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसूचनी अभियन्ता, देवराइट, उपग्रोपावर लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

12604

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 23/10

कोषाधिकारी, कोषागार,

अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती आनन्द कुमारी पाठक पत्नी स्व० गजेश शंकर पाठक सेवानिवृत्त लेखाकार, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5638 दिनांक 21.03.2012
(ग)	जन्मतिथि	25.12.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आनन्द कुमारी पाठक
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	10.03.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड में)	15600-39100 (5400)
(घ)	वेतन	₹ 31,120
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 15660/-दि० 10.03.2014 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 9336
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 80,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 40000/-दि० 10.03.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 24000/-दि० 11.03.2019 से अग्रेतर
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8200

12604

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिम्पी, अलीगढ़।

2 श्रीमती आनन्द कुमारी पाठक पत्नी स्व० गजेश शंकर पाठक सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-2/333, विष्णुपुरी, थाना क्वारसी, जिला-अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक 0268 दिनांक 15.3.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/उ०म०प्र०/लेखा, राकित भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०म०प्र०/उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन  
राकित भवन, लखनऊ





संघीय कार्यपालिका/संघीय

राज्य कार्यपालिका/राज्य

कार्यपालिका/कार्यपालिका



पत्र सं०

12649

2011-2012

सं०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 2/3/18

कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अखिलेश कुमार

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5581	दिनांक 30.01.2012
(ग)	जन्मतिथि		07.08.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुधा माथुर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹	65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 32980/-दि० 06.08.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	72358
(क)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 85550/-दि० 06.08.2118 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8201

12649

2011-2012

सं०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूचनी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।

2. श्री अखिलेश कुमार सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ई-87 एम०आई०जी०, आवास विकास कृष्ण विहार कल्यानपुर कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक 10263 दिनांक 15.3.18 के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिसूचनी अभियन्ता, वेबसाइट, सं०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

12588

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

2/3/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मथुरा दत्त पन्त

सेवानिवृत्त

समीक्षा  
अधिकारी,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	स्वैच्छिक सेवानिवृत्त	
(ख)	पी०पी०ओ संख्या	5433	दिनांक 11.08.2011
(ग)	जन्मतिथि		12.02.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रेखा पन्त
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000(8700)
(घ)	वेतन	₹	64,090
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32045
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12818
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19227
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19227
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,65,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	82700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	82700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12818
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	69882
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49620
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8202

12588

2011-2012

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री मथुरा दत्त पन्त सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, पता-एल/बी-201, सेक्टर एल, अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10267 दिनांक 15.3.19 के साथ संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10323

04-05

उ०प०/

दिनांक- 2/3/18

कोषाधिकारी,

कोषागार गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार कत्याल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3100	दिनांक	06.05.2005
(ग)	जन्मतिथि			10.03.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सुषमा कत्याल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			10.04.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000/16400-20000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹		24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹		69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		66510
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		41730
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8203

10323

04-05

उ०प०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूचारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिषदमंडल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री अशोक कुमार कत्याल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता जी-5, सूर्या शीष अपार्टमेंट, गाजीनगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 8255 दिनांक 14.3.18 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिसूचारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प० पावर कारपोरेशन लि०, राफिा भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प० पावर कारपोरेशन लि०  
गाजियाबाद



# उपरो पावर कारपोरेशन लि

(उपरो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8211

12897

2012-2013

उपरो/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
मथुरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजकुमार गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिदर्वता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीओओ संख्या	5775	दिनांक 09.08.2012
(ग)	जन्मतिथि		18.06.1965
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सीमा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		25.06.1968
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	34700-67000 ग्रेड-पे-10000	
(घ)	वेतन	₹	59250
(ङ)	मूल पेंशन	₹	29625
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11850
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	17775
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		29625/- दि० 29.04.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17775
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां	
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	153000
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	76500
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11850
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	64650
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	78500/- दि० 29.04.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-38 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8211

12897

2012-2013

उपरो/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मथुरा।

2. श्री राजकुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता, पता-25, मथुरा विहार कालोनी, वृन्दावन, जिला-मथुरा।

को इस आशय से प्रेषित कि यह

कोषागार

मथुरा

को प्रेषित पत्रांक 8674 दिनांक-05.03.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थिति पर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपाकरणलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उपरो पावर कारपोरेशन लि०

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8212

12898

2012-2013 उ०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सियाराम वर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य	टिप्पणी
(क)	पेंशन का प्रकार				
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	582	दिनांक 15.09.2012		
(ग)	जन्मतिथि				01.05.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				30.04.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)			34700-67000 ग्रेड-पे-8900	
(घ)	वेतन	₹			85980
(ङ)	मूल पेंशन	₹			32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹			13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹			171100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन				लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			85550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹			85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹			13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹			72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8212

12898

2012-2013 उ०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- उप-मुख्य लेखाधिकारी, केस्को हाउस 14/71 सिविल लाइन्स, कानपुर।
- श्री सियाराम वर्मा, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता, पता-279-बी ब्लॉक, पनकी, कानपुर।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार कानपुर

को प्रेषित पत्रांक 9675 दिनांक-05.03.2019 के साथ संलग्न रूप में भुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, कानपुर  
शक्ति भवन, कानपुर

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन, शक्ति भवन, कानपुर।



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

(उपरो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8213

12901

2012-2013

उपरो/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
प्रयागराज (इलाहाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री बृजमोहन

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीओओ संख्या	5814	दिनांक 13.09.2012
(ग)	जन्मतिथि		04.05.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सावित्री देवी यादव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		20.10.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	34700-67000 ग्रेड-पे-8900	
(घ)	वेतन	₹	65960
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		32980/- दि० 03.05.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19788
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	171100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को सशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	85550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	85550/- दि० 03.05.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	61330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगभित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखप्रधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8213

12901

2012-2013

उपरो/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वनिचल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

2 श्री बृजमोहन, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता, पता-116वीं/3 तैलियरगंज, इलाहाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

प्रयागराज  
(इलाहाबाद)

को प्रेषित पत्रांक 9876 दिनांक-05.03.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

नेम्याथियारी (पेंशन)

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरोपाकाउलि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड  
कोषाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8214

12910

2012-2013

उपग्रो/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार शर्मा

सेवानिवृत्त

अधिरासी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पीपीओओ संख्या	5851	दिनांक 08.10.2012
(ग)	जन्मतिथि		15.05.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती नरेश शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		18.09.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	34700-67000 ग्रेड-पे-10000	
(घ)	वेतन	₹	76100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38050
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹	15220
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22830
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		38050/- दि० 14.05.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	199800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	99800
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15200
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	84580
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	99800/- दि० 14.05.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8214

12910

2012-2013

उपग्रो/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अधिरासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।

2 श्री अनिल कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अधिरासी अभियन्ता, पता-2285, सेक्टर-सी, पीकेट-2, वसन्त कुंज, दिल्ली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

नोएडा

(गौतमबुद्धनगर)।

को प्रेषित पत्रांक 8677 दिनांक-05.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकॉर्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

02/03/19



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8215

8316

1999-2000 उ०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कृष्णा सारस्वत पत्नी स्व० नारायण स्वरूप सारस्वत सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1833 दिनांक 25.05.2002	
(ग)	जन्मतिथि		12.01.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कृष्णा सारस्वत
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2000 / 12.07.2007
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)	18400-22400/34700-67000 ग्रेड-पे-10000	
(घ)	वेतन	₹	21900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	157600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को सशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संग्रान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	47280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/सशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8215

8316

1999-2000 उ०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणार्ध विद्युत वितरण विभाग लि०, अलीगढ़।
- श्रीमती कृष्णा सारस्वत पत्नी स्व० नारायण स्वरूप सारस्वत, सेवानिवृत्त, अधीक्षण अभियन्ता, पता-5/150, ईसापुर कालोनी, जी०टी० रोड, बन्या देवी, अलीगढ़। को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार अलीगढ़। को प्रेषित पत्रांक 9678 दिनांक-05.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGCO24928

पत्र सं०

8224

12677

11-12

उपग्रो/

दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5578	दिनांक	25.01.2012
(ग)	जन्मतिथि			30.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			मंजू त्यागी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		64030
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹		83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		0

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8224

12677

11-12

उपग्रो/

दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिश्रमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, दिक्टोरिया पार्क, मेरठ

2 श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 245-नेहरू नगर, गली नं०-01, गढ़रोड, मेरठ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक 9703 दिनांक 06.03.2019 के सम्प्रेषण सम्पन्न कर मुग्तान प्राप्त करे।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावर लि०, राकिा भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
विनोद कुमार

शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8225

12676

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री असीम कुमार बनर्जी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5718	दिनांक 16.08.2012	
(ग)	जन्मतिथि			04.11.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सन्ध्या बनर्जी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			28.05.1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.11.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-87000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	72358
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51330
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का सुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के सुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8225

12676

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री असीम कुमार बनर्जी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 82/13, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9704 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष समर्थक स्थापित कर सुगतान प्राप्ति करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8226

12704

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमन प्रकाश कंसल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओ संख्या	5867	दिनांक	17.10.2012	
(ग)	जन्मतिथि				31.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				01.03.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.01.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)				37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन		₹		64,020
(ङ)	मूल पेंशन		₹		32010
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹		11374
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		20836
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		19206
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ	

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन		₹		1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन				
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹		11374
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		₹		71676
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अध्याय उपयुक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8226

12704

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

2. श्री रमन प्रकाश कंसल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता ए०डी० 29, सूर्योदय बिहार, शास्त्री नगर, मेरठ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक 9705 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

1/3/19  
05/03/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC02492B



पत्र सं० 8227

12705

11-12

उपग्रो/

दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री पूरनमल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	5613	दिनांक	02.03.2012
(ग)	जन्मतिथि			02.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती विमलेश मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8800
(घ)	वेतन	₹		62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹		31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		18648
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		12432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		68218
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8227

12705

11-12

उपग्रो/

दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा

2. श्री पूरनमल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 43/478/96-97 राधा नगर कालोनी, सिकन्दरा, आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक 9688 दिनांक 08.03.2019 के साफेस सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकॉर्पोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 05/03/19

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, सिकन्दरा, आगरा

श्रीमती विमलेश मिश्रा



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8228

6475

89-90

उ०प्र० /

दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार सहायनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गुरु चरण सिंह रंगी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओ संख्या	8248	दिनांक	21.10.1990
(ग)	जन्मतिथि			06.07.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती नछीत्तर कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.07.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			3400-4750 / 10650-15200 / 15600-39100 ग्रेड पे 6600
(घ)	वेतन	₹		4,375
(ङ)	मूल पेंशन	₹		14228
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		14228
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		6295
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			11 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		80,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		40450
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		40450
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		40450
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		24270
(ण)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		दि० 01.01.16 से 20प्रति० अतिरिक्त 8090 दि० 05.07.16 तक तदुपरान्त दि० 06.07.16 से 30प्रति० अतिरिक्त 12135

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8228

6475

89-90

उ०प्र० /

दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण नियम लि०, सहायनपुर

2. श्री गुरु चरण सिंह रंगी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता के०बी० इन्डस्ट्रीज के पास, गुरुदास रोड, पो०आठ खारत, रोपड़, पंजाब

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहायनपुर को प्रेषित पत्रांक 9889 दिनांक 08.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 05/03/19

उ० प्र० पा० का० लि०, शांति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8229 12811 12-13 उ०प्र०/ दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,  
कोषागार मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गणेश दत्त शर्मा सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिबर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8075	दिनांक 16.05.2013
(ग)	जन्मतिथि		12.08.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती अमिता शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹	50,390
(ङ)	मूल पेंशन	₹	25195
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10078
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	15117
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15117
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,30,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	65300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10078
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संझान न लिया जायँ	₹	55222
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39180
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8229 12811 12-13 उ०प्र०/ दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ
- श्री गणेश दत्त शर्मा, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता म०न० 3, गौ० गाटवाडा, मेरठ शहर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक 9890 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०कालि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० कालि० शांति भवन, लखनऊ  
2019/03/05



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8230

8302

99-2000

उ०म०प्र०/

दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार गाजियाबाद

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सीता राम अग्रवाल

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1261	19.12.2000	
(ग)	जन्मतिथि			02.01.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती संतोष अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			23.06.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			63000-78000
(घ)	वेतन	₹		22400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		4311
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		27189
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		6720
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	विवरण
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,76,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	88250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पुरी)	₹	88250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4311
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जाय	₹	83939 दि० 18.03.2018 तक तदुपरान्त 88250
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	52950
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8230

8302

99-2000

उ०म०प्र०/

दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमॉचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद
2. श्री सीता राम अग्रवाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता एस्कोई 75, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 9691 दिनांक 06.03.2019 के साथ

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

05/3/19



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8231

7131

93-94

उ०प्र० /

दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती तृप्ता चोपड़ा पत्नी स्व० राम प्रकाश सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओओ संख्या	3305 दिनांक 27.10.2005
(ग)	जन्मतिथि	12.04.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती तृप्ता चोपड़ा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	21.12.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	20.10.1992
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	3400-4750/10650-15200/15800-39100 ग्रेड पे 6600
(घ)	वेतन	₹ 4825
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5334
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	58 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 83,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपर्युक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 24990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (ख)/(ग) में अमाणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ता होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8231

7131

93-94

उ०प्र० /

दिनांक-05.03.2019

प्रतिष्ठित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती तृप्ता चोपड़ा पत्नी स्व० राम प्रकाश चोपड़ा, (दिवंगत) सहायक अभियन्ता, पता 405 सनरपाट गेट्स, सेक्टर 2, विकास नगर, लखनऊ

3. जो इस आदेश से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9692 दिनांक 05.03.2019 के साथै सम्पर्क कर प्रेषित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अभियन्ता अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विभागाध्यक्ष

पेंशन विभाग

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ





# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8232 12864 12-13 उ०म०प्र०/ दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राज कुमार सिंह

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6158	दिनांक 01.08.2013
(ग)	जन्मतिथि		17.05.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विमलेश सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		28.04.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	76100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15220
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22830
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		38050 दि० 16.05.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15220
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	84580
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	99800 दि० 16.05.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8232 12864 12-13 उ०म०प्र०/ दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी
2. श्री राजकुमार सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता द्वारा श्री रबीन्द्र कुमार सिंह, गणेशपुरी मुसुवाही, पो० बी०एच०यू०, वाराणसी 221005

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक 9693 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष संपर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश सिंह  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
कोषागार वाराणसी



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8233 12831 12-13 उपग्रो/ दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम राजन शुक्ला

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओ संख्या	5847	दिनांक	01.10.2012	
(ग)	जन्मतिथि			04.06.1952	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती संतोष शुक्ला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				19.10.1956
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				30.06.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)				37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹			65960
(ङ)	मूल पेंशन	₹			32980
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹			13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				32980 दि० 03.06.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ	
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख)	निर्धारित वेतन	₹			171100/- 171400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन				
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹			85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹			13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹			72358
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			85550 दि० 03.06.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			51330
(ण)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ति होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8233 12831 12-13 उपग्रो/ दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. उपमुख्य लेखाधिकारी, कानपुर विद्युत समूर्ति कम्पनी, केरको, कानपुर
2. श्री राम राजन शुक्ला, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 326 डी ब्लॉक, पनकी, कानपुर (उपग्रो)

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक 9694 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशपसी अभियन्ता, वेनसाइट, उपग्रोपाकोटलि, शांति गवन, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9694 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8234 6553 90-91 उपग्रो/ दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री त्रिलोकी नाथ मिश्रा सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9086	दिनांक 24.11.1992
(ग)	जन्मतिथि		07.07.1932
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विमला मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		03.03.1939
- (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि 31.07.1990
 

(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		21350-23975/83000-78000
(घ)	वेतन	₹	7500
(ङ)	मूल पेंशन	₹	37800 (20प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन रु० 8300 सम्मिलित)
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
- दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-
 

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,71,400
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन
 

(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	85700
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	85700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	85700
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51420
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.16 से 20प्रतिशत 17140, दि० 06.07.16 तक तदुपरान्त दि० 07.07.16 से 30प्रतिशत अतिरिक्त 25710

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8234 6553 90-91 उपग्रो/ दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री त्रिलोकी नाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1, पता सी-234, से०-ए, महानगर, लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9895 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

निर्देशित पत्रांक

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 05.03.2019

शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8235

6525

90-91

उ०प्र०/

दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्काल में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती आशा श्रीवास्तव पत्नी स्व० बी०एन० सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपी०ओ० संख्या	8312	दिनांक 29.12.1990
(ग)	जन्मतिथि		12.06.1932
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती आशा श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		36.06.1990/27.11.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		3400-4750/10650-15200/15600-39100 ग्रेड पे 6600
(घ)	वेतन	₹	4125
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	4786
(ञ)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छनहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		11 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	76,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को राशिकृत पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के -पुनरागत वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एट ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	22860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (अधु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8235

6525

90-91

उ०प्र०/

दिनांक-05.03.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती आशा श्रीवास्तव पत्नी स्व० बी०एन० श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त/दिवंगत वरिष्ठ लेखाधिकारी, पता 2 सुरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव मार्ग, पी०आर० राजिस्ट्री आफिस, सुरेन्द्र भवन, लखनऊ 226018  
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रक 9698 दिनांक 06.03.2019 के सामने सम्पर्क स्थापित कर मुगलान प्रदा करें।
- अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पत्र सं० 8236 13784 15-16 उपरो/

दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार प्रयागराज

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मसूद आलम अन्सारी सेवानिवृत्त लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	6947	दिनांक	01.01.2016
(ग)	जन्मतिथि			06.08.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती रुखसाना सईद
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			16.12.1961
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.08.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹		70040
(ङ)	मूल पेंशन	₹		35020
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		14008
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		21012
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			35020 दि० 05.08.2020 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		21012
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

12 तालिका नं०

(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,80,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		90400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹		90400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		14008
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चालन न लिया जाय	₹		76392
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		90400 दि० 05.08.2022 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		54240
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8236

13784

15-16

उपरो/

दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण नियम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।

2 श्री मसूद आलम अन्सारी, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता रा०-821 जी०टी०बी० नगर, करेली स्कीम, प्रयागराज-211016

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 8697 दिनांक 08.03.2019 के सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/कोषागार, राशिकरण, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रियांशु कुमार  
अधीनस्थ अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम  
उपरो/कोषागार, प्रयागराज



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8239

12795

12-13

उ०प्र०/

दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री भीम सिंह

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5838	दिनांक 27.09.2012
(ग)	जन्मतिथि		24.07.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शान्ती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		09.04.1956
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	77000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38500
(ब)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15400
(घ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		38500 दि० 23.07.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	23100
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	84400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	99800 दि० 23.07.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	0

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ति होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8239

12795

12-13

उ०प्र०/

दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री भीम सिंह, मुख्य अभियन्ता सार-2 सेवानिवृत्त, पता अमिताभा 1026, रोक्टर-3, उद्योग-2, रायबरेली रोड, लखनऊ 226025

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9700 दिनांक 08.03.2019 के साथै सम्पर्क स्थापित कर सुगतान प्राप्त करे।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ




# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8240

12801

12-13

उपग्रो/

दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती रामरजी देवी पत्नी स्व० हरिदास राम

सेवानिवृत्त

अनुसूचक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ संख्या	5665	दिनांक 17.04.2012
(ग)	जन्मतिथि		01.03.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रामरजी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.05.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		29.02.2012 / 18.09.2018
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300 34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹	19400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	3700
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3890
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	5844
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		9740 दि० 28.02.2017 से
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	5844
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		6 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	21554
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	25450
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	12700
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम केम के अनुसार पेंशन	₹	12700
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	12700
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	25450
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3498
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	21554 दि० 01.01.16 से 18.09.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	25450 दि० 19.09.2018 से 28.02.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	12700
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	12700

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अन्तर्गत उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर उपर्युक्त पेंशन के सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखपिकारी (दिनांक)

पत्र सं०

8240

12801

12-13

उपग्रो/

दिनांक 05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्रीमती रामरजी देवी पत्नी स्व० हरिदास राम, सेवानिवृत्त अनुसूचक, पता ग०-१० 28, नीलमथा बाजार कटहरी बाग, लखनऊ

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9701 दिनांक 06.03.2019 के सम्बन्ध में कार्यवाही कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, देवराइंट, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

Handwritten signature and date

लेखपिकारी (दिनांक)  
उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०  
लखनऊ



# उत्तम पावर कारपोरेशन लि०

(संयुक्त राज्य भारत)

उत्तम पावर कारपोरेशन लि०

पता: १०००२०, १२२०१०, १२२०१०, १२२०१०



पत्र सं०

8242

12843

12-13

उत्तम०१०/

दिनांक- 05.03.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरि मोहन अवस्थी

सेवानिवृत्त

अधिकासी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या	5901	04.12.2012	
(ग)	जन्मतिथि			15.08.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती कान्ती अवस्थी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			05-07-1954
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31-08-12
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹		77,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹		38500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		15400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		23100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			38500 दि० 14.08.17 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		23100
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		199,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		99800
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		15400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		84400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		99800 दि० 14.08.19 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8242

12843

12-13

उत्तम०१०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उत्तम पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री हरि मोहन अवस्थी, अधिकासी अभियन्ता सेवानिवृत्त ए००१२०-1/30, सेक्टर-ए, सीतापुर रोड स्कीम, लखनऊ-226021

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9706 दिनांक- 08.03.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उत्तम पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उत्तम पावर कारपोरेशन लि०

उत्तम पावर कारपोरेशन लि०

उत्तम पावर कारपोरेशन लि०





उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)  
U.P. Power Corporation Limited  
110, Park Road, Lucknow - 226001  
पूना पेंशन प्लान सं० १९९५८०२४९२८



पत्र सं० 8244 12839 12-13 उ०प्र०/ दिनांक- 05.03.19

कोषाधिकारी,  
कोषागार, प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक प्रताप सिंह सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	अधिवर्षता
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	5982 दिनांक 13.02.13
(ग) जन्मतिथि	01.07.1952
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शीला सिंह
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	12-08-1957
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30-06-12
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ) वेतन	₹ 76,100
(ङ) मूल पेंशन	₹ 38050
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 15220
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22830
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 38050 दि० 30.06.17 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22830
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 199,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 99800
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 99800
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 99800
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ 15220
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 84580
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 99800 दि० 30.06.19 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 59880
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8244 12839 12-13 उ०प्र०/ दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज
2. श्री अशोक प्रताप सिंह, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त पता प्रताप विला, 6ए/2, शिवकुटी, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक 9708 दिनांक- 06.03.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
कोषागार प्रयागराज  
दिनांक 06.03.19



पत्र सं०

8245

10071

04-05

उ०प्र०/

दिनांक- 05.03.19

कोषाधिकारी,

कोषागार, आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती खुमाना देवी पत्नी स्व० छेदी लाल सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2967 दिनांक 11.01.2005
(ग)	जन्मतिथि	22.01.1959
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती खुमाना देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	28-02-1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	07-12-03
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4500-7500/5200-20000 ग्रेड पे 3000
(घ)	वेतन	₹ 6,125
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 4155
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं

## 3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	5 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 37,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 11310
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8245

10071

04-05

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा

2. श्रीमती खुमाना देवी पत्नी स्व० छेदी लाल, सहायक लेखाकार पता टाइप-द्वितीय ब्लाक-प्रथम, जमुना बैंक पवर हाउस कालोनी, ननुवाई रोड, आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक 9709 दिनांक- 06.03.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

8248

12743

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-05.03.19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरेन्द्र सिंह

सेवानिवृत्त

अधिसासी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5748	13.07.2012	
(ग)	जन्मतिथि			02.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती इंदिरा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			02-01-1959
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31-01-12
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹		76,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹		38050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		15220
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		22830
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		22830

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

## 2. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	मूल्य
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	199,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	99800
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15220
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	84580
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8248

12743

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमॉंचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2. श्री हरेन्द्र सिंह, अधिसासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता के०एम०-41, कवि नगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 9710 दिनांक- 06.03.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

सेवानिवृत्त

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र०/आवर कारपोरेशन दि०

(सि०प्र० सरकार का उपक्रम)



पत्र सं०

8247

12737

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक-05.03.19

कोषाधिकारी,  
कोषागार, मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती नीलम सचदेवा पत्नी स्व० चन्द्र सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5674	दिनांक 03.07.12
(ग)	जन्मतिथि		09.09.54
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती नीलम सचदेवा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		31-12-1961
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		07-10-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	60,640
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		30320 दि० 06.10.20 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18192
(ण)	पेंशन योग्य अहंकारी सेवा		लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	156,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	78300 दि० 06.10.20 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभग्रह हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8247

12737

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ
2. श्रीमती नीलम सचदेवा पत्नी स्व० चन्द्र मोहन सिंह, सहायक अभियन्ता पता मकान नं० 18-ए ग्रीन न्यू अपार्टमेंट, फेज-11 लौहगढ़, जीरकपुर, जिला महोली (पंजाब) को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक 9711 दिनांक- 06.03.18 के सम्बन्ध में स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/आवर कारपोरेशन, राउत भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०/आवर कारपोरेशन लि०

दिनांक-



पत्र सं०

8250

12790

12-13

उ०प्र०/

दिनांक- 05.03.19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय कुमार शालिया

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5827	दिनांक 18.09.12
(ग)	जन्मतिथि		25.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती शीना शालिया
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		27-09-1957
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-01-12
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32980
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹	13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		32980 दि० 24.01.17 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19788

## (ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	171,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	85550
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	85550 दि० 24.01.19 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8250

12790

12-13

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)

2 श्री विजय कुमार शालिया, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता बी०-452, नीलकण्ठ अपार्टमेंट, सेक्टर-82, ब्लाक-बी, नोएडा

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक 9714

दिनांक- 06.03.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/१०/क०/१०, शक्ति भवन, लखनऊ।

बिमलेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उपरोक्त कार्यालयों के

मुख्यालय

सूचना

गणना

गणना



पत्र सं० 8251 12777 11-12 उ०म०प्र०/ दिनांक- 05.03.19

कोषाधिकारी,  
कोषागार, अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कान्ती प्रसाद वाष्ण्य सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण		अधिवर्षता	
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5686	दिनांक 11.05.2012
(ग)	जन्मतिथि		08.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विमला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		20-11-1952
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-01-12	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		32015 दि० 07.01.17 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	40 छमहियाँ	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	166,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		₹	83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(गं)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	83050 दि० 07.01.19 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49630
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8251 12777 11-12 उ०म०प्र०/ दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़
- श्री कान्ती प्रसाद वाष्ण्य, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता जे-51 ज्ञान सरोवर, राम घाट रोड, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक 9715 दिनांक- 06.03.19 के सम्बन्ध सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

कोषाधिकारी (पेंशन)  
05/03/19  
कोषाधिकारी (पेंशन)  
कोषाधिकारी (पेंशन)



उत्पन्न वावर कारपोरेशन लि०

(सि० प्र० कार० व० वि० वि०)

उत्पन्न वावर कारपोरेशन लि०



पत्र सं० 8253 8263 1999-2000 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रमोद कुमार चड्ढा

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	882 दिनांक
(ग)	जन्मतिथि	15.12.1991
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चेतन चड्ढा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.06.1940
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	15.03.1945
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	30.06.1998
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	पंचम वेतनमान
(घ)	वेतन	16400-20000/37400-67000(8900)
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 18200
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 22823
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	₹ 62 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मेट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 67500
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मेट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 63410
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 65550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 65550
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(ण)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जावेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8253 8263 1999-2000 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्री प्रमोद कुमार चड्ढा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-द्वितीय बी/24 साधना फ्लैट, वैशाली, गाजियाबाद।  
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 9717 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

श्रीमती मिश्रा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उत्पन्न वावर कारपोरेशन लि०  
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड



उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ



पत्र सं० 8252/ 6414 2000-2001 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-05.03.2019  
कोषाधिकारी, कोषागार, अलीगढ़ 6847

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कान्ती देवी पत्नी स्व० दयानन्द चौहान सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9810	30.01.1995
(ग)	जन्मतिथि		04.01.1934
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कान्ती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.11.1939
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.1992/27.02.2017
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		2800-4000/15600-39100 (5400)
(घ)	वेतन	₹	4,125
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	6393
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	75,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	37700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	₹ 37700/-दि० 27.02.17 तक
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सज़ान न लिया जाय	₹	₹ 37700/-दि० 27.02.2017 तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	₹ 22620/-दि० 28.02.2017 से
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8252/ 6414 2000-2001 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदर्शक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।
2. श्रीमती कान्ती देवी पत्नी स्व० दयानन्द चौहान सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-70न०-2/49, इन्द्रपथ कालोनी निरंजनपुरी, अलीगढ़।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9718 दिनांक 06.03.2019 के साथ-साथ

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०प०क०एल०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ





उपरोक्त पावर कारपोरेशन लि०



पत्र सं० 8256 6875 1992-1993 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती उर्मिला मिश्रा पत्नी स्व० इन्दु कुमार मिश्रा सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	सेवानिवृत्त	अधिशासी अभियन्ता,	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
(क) पेंशन का प्रकार			पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	9228	दिनांक	19.03.1993
(ग) जन्मतिथि			05.08.1934
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती उर्मिला मिश्रा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			22.10.1937
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			22.10.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			चौथा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			4250-5600/37400-67000 (8700)
(घ) वेतन	₹		6,050
(ङ) मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		13830
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			12 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹		1,30,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जावे	₹		लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		39180
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		दि० 22.10.2017 से 20 प्रतिशत ₹० 7836/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8256 6875 1992-1993 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती उर्मिला मिश्रा पत्नी स्व० इन्दु कुमार मिश्रा सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-द्वारा श्री आई के मिश्रा, 11 मारुतीपुरम, फैजाबाद रोड, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि यह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9720 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्बन्ध

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकोरपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावन कारपोरेशन लि०

सहायक कोषाधिकारी कार्यालय

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश



पत्र सं० 8258 11835 2009-2010 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरूण कुमार उपाध्याय

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4742	21.01.2010
(ग)	जन्मतिथि		12.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शकुन्तला उपाध्याय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		08.08.1955
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	70628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुभूति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8258 11835 2009-2010 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2. श्री अरूण कुमार उपाध्याय सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एफ०-43, नथमलपुर, गोरखनाथ मन्दिर, गोरखपुर-273015

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक 9722 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०/पा०/क०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ-1

संज्ञा: 9722

लेखाधिकारी (पेंशन)

5-2



उद्योग-पावर कारपोरेशन लि०

(उद्योग-पावर कारपोरेशन लि०)

(उद्योग-पावर कारपोरेशन लि०)

दिनांक: 05.03.2019



पत्र सं० 8259 10371 2004-2005 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विमल चन्द्र जायसवाल

सेवानिवृत्त

अधिरासी  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		3439	18.02.2006
(ग)	जन्मतिथि			12.03.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शीला जायसवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			11.05.1954
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹		22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		4000
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		23350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		4000
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹		77150
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8259 10371 2004-2005 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिरासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री विमल चन्द्र जायसवाल सेवानिवृत्त अभियन्ता अभियन्ता, पता-सी-4, कमला नेहरू नगर, खुर्रमनगर, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9723 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्तकरें।

- अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी प्रभारी (पेंशन)  
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०



पत्र सं० 8260 10870 2006-2007 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अमर नाथ सिन्हा

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		3618	18.06.2006
(ग)	जन्मतिथि			17.02.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती पुष्प लता सिन्हा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			06.07.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			28.02.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹		63,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹		31855
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		11268
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20587
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66	छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14	तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹		83600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		11268
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		72332
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8260 10870 2006-2007 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री अमर नाथ सिन्हा सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक पता-6/646, विकास नगर, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ स्थापित कर मुगतान प्राप्तकरें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9724 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क

लेखाधिकारी प्रभारी (पेंशन)  
लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Power Corporation Limited)

(U.P. Power Corporation Limited)



पत्र सं० 8261 10900 2006-2007 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
सहारनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ज्ञान चन्द्र सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिसासी अभियन्ता	सेवानिवृत्त	दिनांक	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार					29.08.2006
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		3710			29.10.1947
(ग)	जन्मतिथि					श्रीमती कान्ती देवी
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम					03.07.1954
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि					31.10.2005
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि					पंचम देतनमान
(ख)	तत्समय लागू देतनमान					37400-67000 (89000)
(ग)	देतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)					20,000
(घ)	वेतन	₹				24295
(ङ)	मूल पेंशन	₹				4677
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹				19618
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹				लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर					14577
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹				66 छमाहियाँ
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा					
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-					

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)				13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹				1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन					
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹				69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹				लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹				लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹				लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹				69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹				4677
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹				64873
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹				लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹				41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹				लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8261 10900 2006-2007 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०,सहारनपुर।
- श्री ज्ञान चन्द्र सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता पता-165, रोखपुरी रुड़की, हरिद्वार।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर को प्रेषित पत्रांक 9725 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्तकरें।

- अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ-1।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
कोषाधिकारी (पेंशन)  
सहारनपुर



संविधान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा

स्थापित किया गया है



पत्र सं० 8262 6911 1992-1993 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती विमला भारद्वाज पत्नी स्व० जी०बी० भारद्वाज सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9054	
(ग)	जन्मतिथि		30.10.1992
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विमला भारद्वाज
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		31.12.1940
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		09.04.1990
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		2600-4000/15600-39100 (5400)
(घ)	वेतन	₹	3400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	4155
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	67,000
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्वय पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	20100
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8262 6911 1992-1993 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदरवक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणींचल विद्युत वितरण नियम लि०, लाल डिग्गी, अलीगढ़।
- श्रीमती विमला भारद्वाज पत्नी स्व० जी०बी० भारद्वाज सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-8/123 खुबीरपुरी, अलीगढ़।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक 9726 नं० 06.03.2019 के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्तकरे।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/कार्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० म० प्र०/लेखा/पेंशन  
शक्ति भवन, लखनऊ



पत्र सं० 8263 6802 1991-1992 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रमोद भार्गव पत्नी स्व० रामेश्वर प्रसाद भार्गव सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8830	08.04.1992
(ग)	जन्मतिथि		03.02.1934
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती प्रमोद भार्गव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		04.07.1934
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		29.02.1992
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		5000-6300/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	5,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अहंकारी सेवा		68 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अहंकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.18 से 20 प्रतिशत रु० 7866/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8263 6802 1991-1992 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती प्रमोद भार्गव पत्नी स्व० रामेश्वर प्रसाद भार्गव सेवानिवृत्त सुयुक्त सचिव, पता-219, अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9727 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विप्लेश कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
लखनऊ



पत्र सं० 8264 6861 1992-1993 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चार्ल्स स्टुअर्स डेनियल

सेवानिवृत्त

अनुभाग अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8950 दिनांक
(ग)	जन्मतिथि	28.07.1992
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1992
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4250-5600 /37400-87000(8700)
(घ)	वेतन	₹ 4,250
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27660
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 27660
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 61550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 61550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ 61550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 01.01.16 से 20 प्रतिशत ₹० 12,310/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8264 6861 1992-1993 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री चार्ल्स स्टुअर्स डेनियल सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, पता-एम डी टैनिगल, 307/21, जौहरी मोहल्ला, गोल दरवाजा स्ट्रीट के पास चौक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश-226003)

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9728 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्यक

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ





उत्तर प्रदेश सरकार  
(आय और वित्त विभाग)  
Uttar Pradesh Government  
(Income and Finance Department)



पत्र सं० 8265 6874 1992-1993 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्यत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजा राम मौर्या

सेवानिवृत्त

प्रशासनिक  
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	प्रमाण	दिनांक	अधिबर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार			अधिबर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9857	दिनांक	17.04.1995
(ग)	जन्मतिथि			01.07.1934
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.1992
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			2800-4000/15600-39100 (5000)
(घ)	वेतन	₹		2,675
(ङ)	मूल पेंशन	₹		8819
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		8819
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			60 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			10 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		57,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		28900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		26273
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		28050
(ग)(1)	उपर्युक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		28050
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		28050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चालन न लिया जाये	₹		28050
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		दि० 01.01.16 से 20 प्रतिशत ₹० 5610/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8265 6874 1992-1993 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2. श्री राजा राम मौर्या सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, पता-(एम) 803, आजाद नगर (पूर्वी) तारा मण्डल रोड, पोस्ट शिवपुरी नई कालोनी, गोरखपुर।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक 9729 दिनांक 06.03.2019 के साथ में स्थानित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वैबसाइट, उ०म०प्र० कार्यालय, सविता भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

श्री राजा राम मौर्या, गोरखपुर



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8273

8322

1999-2000 उ०म०प्र०/

दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 16.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.05.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पीपीओओ संख्या	1016 दिनांक 15.05.2000
(ग)	जन्मतिथि	05.01.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	अंकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	₹ छमाहियाँ 66
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	₹ तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चालन न लिया जाये	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (अग्र्य के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में अग्रणीत पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8273

8322

1999-2000

उ०म०प्र०/ दिनांक:05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा आगरा।

2 श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-द्वारा लेफिटेनंट कर्नल नीरज गर्ग, 8 प्रताप चौक, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली-110010।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा।

को प्रेषित पत्रांक 8736 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

05/03/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० लिमिटेड  
आगरा, उत्तर प्रदेश



# उपरो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8275

8320

1999-2000 उपरो/

दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नाहर सिंह वर्मा

सेवानिवृत्त

अधीक्षण  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1069 दिनांक 17.07.2000
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विमला वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.05.1948
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 21,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 26521
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 64
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 74182
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72100
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 74182
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 74182
(च)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ण)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8275

8320

1999-2000

उपरो/ दिनांक:05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1/ अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचयांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
- 2 श्री नाहर सिंह वर्मा सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-एम.एच-34, पुल्लवपुरम फेस-2 मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ।

को प्रेषित पत्रांक 9738 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/कालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपरो/ दिनांक:05.03.2019

शक्ति भवन, लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8276

8328

1999-2000 उ०प्र०/

दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री तुलसी पति राम

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1008 दिनांक 09.05.2000
(ग)	जन्मतिथि	10.01.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000 ग्रेड पे-8700
(घ)	वेतन	₹ 15,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23050
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 86
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 12
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.06.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 63400
(ङ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 63400
(च)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 38040
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8276

8328

1999-2000

उ०प्र०/ दिनांक 05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, पावर कारपोरेशन शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री तुलसी पति राम, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-डी-1/30, सो०-आई, अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श लखनऊ। कोषागार

को प्रेषित पत्रांक 9739 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष रूप में स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०अ०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लि

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8277

8313

1999-2000 उपरो/

दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती जमुना देवी पत्नी स्व० आर० के० अहिरवार सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	पारिवारिक पेंशनर
(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पीपीओ संख्या	989 दिनांक 31.03.2000
(ग)	जन्मतिथि	28.09.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती जमुना देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	16.11.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.1999/02.12.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100/5400
(घ)	वेतन	₹ 11,575
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 3473
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 10
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 35550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 21330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8277

8313

1999-2000

उपरो/ दिनांक:05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उम मुख्य लेखाधिकारी पनकी ताप विद्युत ग्रह पनकी, कानपुर।
- 2- श्रीमती जमुना देवी पत्नी स्व० आर० के० अहिरवार, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-48/ई/18 दबीली चक नं० 127 ई-ब्लाक कानपुर नगर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर नगर को प्रेषित पत्रांक 9740 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूचना अभियन्ता, बैंकसाइट, उपरोपाका/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं 8278

7382

95-96

उपरो/ले

दिनांक- 05.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेन्द्र कुमार

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता  
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पीपीओओ संख्या	27	दिनांक 05.01.1986	
(ग)	जन्मतिथि			13.09.1937
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती मंजुला अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			31.01.1944
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.09.1995
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			5900-7100
(घ)	वेतन	₹		7,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		पुनर्स्थापति
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹		72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संचालन न लिया जाय	₹		72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं

8278

7382

95-96

उपरो/ले

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, पावर कारपोरेशन लिमिटेड शक्ति मण्डल, लखनऊ।

2. श्री सुरेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-13/64, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक 9741 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपरो/कापिल, शक्ति मण्डल, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

महान्वयिका

महान्वयिका

महान्वयिका

महान्वयिका



पत्र सं०

12387

10-11

उत्प्रेषण/

दिनांक- 05-03-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुमन सिंह पत्नी स्व० वीरेन्द्र पाल सेवानिवृत्त लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक
(ख)	पीपीओओ संख्या	7446	दिनांक 17.10.18
(ग)	जन्मतिथि		25.12.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुमन सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01-01-1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-12-2010/06-08-2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-87000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹	55,550
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27775
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11110
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	16665 दि० 01.01.11 से 06.08.14 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		27775 दि० 24.12.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16665
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	147,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	73500 दि० 24.12.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44100
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8283

12387

10-11

उत्प्रेषण/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उत्प्रेषण कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्रीमती सुमन सिंह पत्नी स्व० वीरेन्द्र पाल सिंह, लेखाकार पता 538 प/71 योगी नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

10224

दिनांक- 14-3-19

के सामक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उत्प्रेषण कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

6300

88-89

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 05-03-19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम शंकर गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधिसूची  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8864 दिनांक 30.11.1991
(ग)	जन्मतिथि	15.01.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती भाग्य रानी गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.05.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹ 6,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24550+ 20 अतिरिक्त (29460)
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 29460
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 140 01.01.16 से 140 14.01.16 तक 20 आंतरवर्षिक ₹ 13110/- 15.01.16 से 30 प्रतिशत दि० 19885/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आणवित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8284

6300

88-89

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री राम शंकर गुप्ता, सेवानिवृत्त अधिसूची अभियन्ता, पता-सी-1635, आवास कालोनी, राजाजीपुरम, लखनऊ।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10320 दिनांक 15-3-19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।
3. अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)





# उ०प० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

9208

2002-2003

उ०प०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

05-03-19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
वाराणसी।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम कुँवर सिंह

सेवानिवृत्त

अधिकाारी  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2036	दिनांक 26-10-2002
(ग)	जन्मतिथि		01.02.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुनी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.05.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)
(घ)	वेतन	₹	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4000
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4000
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	77150/- दि०-25.01.2018 तक 81150/- दि०-26.01.2018 से
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8285

9208

2002-2003

उ०प०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ अधिकाारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिवर्धन विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी।

श्री राम कुँवर सिंह, सेवानिवृत्त अधिकाारी अभियन्ता पता-विरवनाथपुरी, नासिक पुर, वाराणसी।

2 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

10228

दिनांक

14-3-19

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकाारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प० पा० कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



पत्र सं०

10824

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

05-03-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

मुजफ्फरनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रबोध कुमार जैन

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

अधिकर्षता	अधिकर्षता
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	3786 दिनांक
(ग) जन्मतिथि	11.10.2006
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	10.01.1948
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	श्रीमती रुबा जैन
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	अंकित नहीं
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	31.01.2006
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	छटा वेतनमान
(घ) वेतन	37400-67000 (8900)
(ङ) मूल पेंशन	₹ 55,210
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 27605
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 7186
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 20419
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	₹ 16563
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	40 छमाहियाँ

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,43,300
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 71650
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 71650
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ 7186
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 64464
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 42990
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8287

10824

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मुजफ्फरनगर।

2. श्री प्रबोध कुमार जैन सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-24 जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुजफ्फरनगर को प्रेषित पत्रांक 10227 दिनांक 14.3.19 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

अभिजाति (कर्म)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government's Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

8538

2000-01

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

65-03-19

कोषागार

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बांके लाल शर्मा

अधिवर्षता

अधिशाली  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1282	दिनांक 12-01-2001
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रमा शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400	(37400-67000 ग्रेड पे 10000)
(घ)	वेतन		21,400
(ङ)	मूल पेंशन		27,350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		63 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या	14
(ख)	निर्धारित वेतन		1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		76,500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		73023
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		73,023
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		73023
(ङ)	राशिकृत पेंशन		पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें		73023
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8288

8538

2000-01

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर
2. श्री बांके लाल शर्मा, से०नि० अधिशाली अभियन्ता, पता एम०आई०जी०-तृतीय, सेक्टर-4, बर्रा-02, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, कानपुर स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
3. अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उत्तराखण्ड शासन/विभाग

उत्तराखण्ड शासन/विभाग

उत्तराखण्ड शासन/विभाग

उत्तराखण्ड शासन/विभाग



पत्र सं०

12551

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 05-03-19

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मो० शमीम

सेवानिवृत्त

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5401	19.08.2011
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		-
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		-
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800
(घ)	वेतन	₹	18,610
(ङ)	मूल पेंशन	₹	9305
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3732
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	5583
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		06 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	48,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	24000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	24000
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	24000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3722
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹	20278
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2289

12551

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री मो० शमीम सेवानिवृत्त चपरासी, पता-418/345, गढ़ीपीर खौं, ठाकुरगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 10236 दिनांक 14.3.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

*M. Verma*  
27/1/19  
लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपरो पावर कारपोरेशन लि

(उपरो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8301

6483

1989-1990

उपरो/

दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सरला शर्मा पत्नी स्व० महेन्द्र पाल शर्मा सेवानिवृत्त अधिशासी अमियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओओ संख्या	8674 दिनांक 07.12.1991
(ग)	जन्मतिथि	05.09.1929
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरला शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1939
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.1987 / 17.01.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300 / 34700-67000 ग्रेड-पे-8700
(घ)	वेतन	₹ 5600
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाहियां

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 126800
4.	प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 06.07.2019 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त 7608/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8301

6483

1989-1990

उपरो/

दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अमियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि, अलीगढ़।
2. श्रीमती सरला शर्मा पत्नी स्व० महेन्द्र पाल शर्मा, सेवानिवृत्त, अधिशासी अमियन्ता, पता-एच०-2/6, बिनायक अपार्टमेंट, जी०-4, सेक्टर-09, वसन्धरा गाजियाबाद-201012 को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार अलीगढ़। को प्रेषित पत्रांक 9748 दिनांक-06.03.2019 के सम्प्रेषण सम्पन्न कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अमियन्ता, वेबसाइट, उपरोपाका०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8302

9842

2003-2004

उपग्रो/

दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कमला पाठक पत्नी स्व० रामदेव पाठक सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	परिणाम
(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओओ संख्या	2496 दिनांक 30.01.2004
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमला पाठक
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2003/07.01.2016
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/34700-67000 ग्रेड-पे-8700
(घ)	वेतन	₹ 17900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	62 छमाहियां

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 134500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8302

9842

2003-2004

उपग्रो/

दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति मन्दन विस्तार लखनऊ।

2. श्रीमती कमला पाठक पत्नी स्व० रामदेव पाठक, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, पता-ग्राम-कान्चनारी, पोस्ट-ऑफिस-कुर्सहा, जनपद-बहराइच।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

आदर्श कोषागार,

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9747 दिनांक-06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरलि०, शक्ति मन्दन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपग्रो पावर लि०

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8303

9763

2003-2004

उपग्रो/

दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री पुरुषोत्तम गुप्ता

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख) पीपीओअर संख्या	3008 दिनांक 14.02.2005	
(ग) जन्मतिथि		11.07.1945
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती निर्मला गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		11.01.1950
2 (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2003
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	10650-15200/15600-39100 ग्रेड-पे-6600	
(घ) वेतन	₹	12925
(ङ) मूल पेंशन	₹	14387
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2546
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	11841
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	3878
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियां

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण -

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)		11 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹	80900
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	40450
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	40450
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	2546
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	37904/-दि० 21.03.2020 तक तदुपरान्त 40450/-
(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	24270
(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8303

9763

2003-2004

उपग्रो/

दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई (पेंशन प्रकोष्ठ) उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री पुरुषोत्तम गुप्ता, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-द्वारा नै०-नरोत्तम गुप्ता महेन्द्र गुप्ता, आदारी, सडीला, हथदोई।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

आदर्श कोषागार,

लखनऊ

को प्रेषित पत्रक 9748 दिनांक-05.03.2019 के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी प्रभारी (पेंशन)

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ

Handwritten signature and date 05/03/19



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8304

8303

1999-2000

उ०प्र०/

दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कैलाश नाथ त्रिपाठी सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	909 दिनांक 11.01.2000
(ग)	जन्मतिथि	15.11.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती जयन्ती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड में)	16400-20000 / 37400-67000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 18200
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3164
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21131
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 135000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 67500
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 67500
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 67500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 67500
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 67500

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8304

8303

1999-2000

उ०प्र०/

दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- श्री कैलाश नाथ त्रिपाठी, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, पता-1/80, मानके बिहार, सभौताब भंगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9749 दिनांक-08.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

शक्ति लेखाधिकारी (पेंशन)





उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(संयुक्त परिवार का उपक्रम)

संयुक्त परिवार का उपक्रम

संयुक्त परिवार का उपक्रम



पत्र सं०

8252

8414

2000-2001

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		1217	15.11.2000
(ग)	जन्मतिथि			15.08.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सुधा वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			11.10.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.08.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹		18,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियों	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8252

8414

2000-2001

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री सुरेश चन्द्र शर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एल-चतुर्थ/एम-171 सेक्टर-एम, अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9716 दिनांक 05.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)




उत्तर प्रदेश शासन, वाराणसी

उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र.सरकार)

उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम लि. (उ.प्र.विद्युत निगम लि.)

उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम लि. (उ.प्र.विद्युत निगम लि.)

उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम लि. (उ.प्र.विद्युत निगम लि.)



पत्र सं० 8252-A 9060 2001-2002 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अमर दयाल सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

क्र.	विवरण	1739	दिनांक	अधिवर्षता	
(क)	पेंशन का प्रकार				08.03.2002
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या				25.01.1944
(ग)	जन्मतिथि				श्रीमती चन्द्रा सिंह
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम				19.03.1948
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि				31.01.2002
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				पंचम वेतनमान
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				37400-67000(10000)
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)				22,400
(घ)	वेतन		₹		27350
(ङ)	मूल पेंशन		₹		4189
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग		₹		23161
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				18410
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर		₹		
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन		₹		1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन				
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार		₹		81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन		₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन		₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)		₹		81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन		₹		4189
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय		₹		76961
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)		₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)		₹		48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)		₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8252-A 9060 2001-2002 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
- श्री अमर दयाल सिंह सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक पता :-प्लाट नं० 20, महामनापुरी कालोनी, आई०टी०आई० रोड, करौंदी, वाराणसी-221005

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक 9716 दिनांक 06.03.2019 के जवाब सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्तकरे।

- अधिसासी अभियन्ता, देवसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी प्रभारी (पेंशन)  
कोषाधिकारी (पेंशन)  
शक्ति भवन लखनऊ



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8305

9788

2003-2004

उ०प्र०/

दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री पारसनाथ सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिबर्षता	दिनांक
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2603	दिनांक 29.04.2004
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती प्रदिमा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02.07.1955
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000	ग्रेड-पे 10000
(घ)	वेतन	₹	21900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3604
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23746
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14849
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियां

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14	तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	157600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3604
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण गग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	75196/- दि० 29.07.2019 तक तदपुरान्त 78800
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	47280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीकित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8305

9788

2003-2004

उ०प्र०/

दिनांक-05.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूत्रनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिवर्माणल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी।
- श्री पारसनाथ, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता: डी-63/44-ए-आर, पंचशीलनगर कालोनी, महामुखांज, छिन्तापुर, वाराणसी-221010

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार वाराणसी।

को प्रेषित पत्रांक 9750 दिनांक-08.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राशिक भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)  
05/03/19



100th Anniversary Logo

(100th Anniversary Logo)



पत्र सं 8496 10934 2006-2007 उम0प्र0/लेखा/पेंशन दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

जौनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सरोज सिंह पत्नी स्व0 दयाशंकर सिंह सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी0पी0अ0 संख्या	3644	13.07.2006
(ग)	जन्मतिथि		अंकित नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सरोज सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.11.1953
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.01.2010/30.04.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	63710
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं0
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं 8496 10934 2006-2007 उम0प्र0/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, जौनपुर।

2 श्रीमती सरोज सिंह पत्नी स्व0 दयाशंकर सिंह सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता :-सदभावना कालोनी, मडियाहू पड़ाव, जौनपुर।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार जौनपुर को प्रेषित पत्रांक 9968 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्तकरे।

3 अधिशासी अभियन्ता, देवसाइड, उम0प्र0/लेखा/पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० कारपोरेशन लि०)  
D.A. PENSIONERS' WELFARE  
(U.P. PENSIONERS' WELFARE)



पत्र सं० 8268 9870 2003-2004 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कुसुम इलियास पत्नी रबू राजेन्द्र इलियास आलेखक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	आलेखक	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार			पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2880		17.07.2004
(ग)	जन्मतिथि			19.03.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती कुसुम इलियास
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			03.07.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			27.02.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			6500-11000
(घ)	वेतन	₹		9,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		6441
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			0
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित वेतन/वेतन बैंड			

क्र.सं.	विवरण	आदेश सं०	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका (आदेश सं०-144 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		08 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		58,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कर्मचारी विधिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.01.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन का अंतर भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका अंतर भाग लिया जायेगा	₹		लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		17580
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो ताम्रप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 तक पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अंतर भाग पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8268 9870 2003-2004 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मुगतान के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं पानी आपूर्ति, उ०प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती कुसुम इलियास पत्नी रबू राजेन्द्र इलियास, शोबानिवृत्त आलेखक पता :-सूट-7, पुराना आउट डोर हस्पिटल, निकट-लोको वर्कशाप चराबाग स्टेशन के पीछे, लखनऊ।  
को इस आशयसे प्रेषित किया जायेगा कि आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9732 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं पानी आपूर्ति, उ०प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

M. S. Prasad  
मदन बिहारी वर्मा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

उ०प्र० सरकार का उपक्रम  
U.P. Power Corporation Limited  
(A Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIR 032201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8269 7360 1995-1996 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेन्द्र कुमार जैन

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	277	26.05.1997
(ग)	जन्मतिथि		07.10.1936
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.1994
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		4250-5600
(घ)	वेतन	₹	4,250
(ङ)	मूल पेंशन	₹	6100
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	6100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		64 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिक सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,23,100
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	61550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	59685
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	61550
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	61550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	61550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	61550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 08.10.16 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त ₹ 12310/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8269 7360 1995-1996 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता :-50 बी सेक्टर 15 ए० नोरखा।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक 9733 दिनांक 06.03.2019 के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9733 दिनांक 06.03.2019 के साथै सम्पर्क

M. S. Sharma  
मदन विहारी वर्मा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



उमप्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उमप्रो) सारणीक का (आदेश)



पत्र सं० 8270 10854 2005-2006 उमप्रो/लेखा/पेंशन दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सरोज तिवारी पत्नी स्व० अच्युत केशव तिवारी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3558	29.04.2006
(ग)	जन्मतिथि		20.01.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सरोज तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹	55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाय	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में फूथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8270 10854 2005-2006 उमप्रो/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०, 14/71, सिविल लाइन, कानपुर।

2. श्रीमती सरोज तिवारी पत्नी स्व० अच्युत केशव तिवारी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता :-10, एम०आई०जी०, ब्लॉक बी, पनकी, कानपुर।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक 9734 दिनांक 08.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्तकरे।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्रोपा०क०लि०, राशिक भवन, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9734 दिनांक 08.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क  
M. K. Sharma  
प्रदान विहार  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उमप्रो पावर कारपोरेशन लि०  
कानपुर



उ०प्र० पावन कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावन को० उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

पेंशन पर्सनल पत्रांक 01/01/2016-2019



पत्र सं० 8271 11162 2006-2007 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक-05.03.2019  
कोषाधिकारी, कोषागार,  
गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती किशोरी अग्रवाल पत्नी स्व० कल्याण दास अग्रवाल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	सहायक अभियन्ता	पारिवारिक पेंशन
(क)	पेंशन का प्रकार		पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3859	दिनांक 06.12.2006
(ग)	जन्मतिथि		01.10.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती किशोरी अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.03.1953
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		DOB 29.11.2012 DOA
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹	56,870
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17061
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

क्र.	विवरण	पेंशन	दिनांक
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,47,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8271 11162 2006-2007 उ०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2 श्रीमती किशोरी अग्रवाल पत्नी स्व० कल्याण दास अग्रवाल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पता :- आर्य नगर, उत्तरी मानस टाकीज के पीछे अलीनगर, गोरखपुर।

को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक 9735 दिनांक 06.03.2019 के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)  
शक्ति भवन, लखनऊ





उमोप्रो रापर कारपोरेशन लि।

रापर कारपोरेशन लि।

रापर कारपोरेशन लि।

उमोप्रो रापर कारपोरेशन लि।



पत्र सं० 8267 11132 2006-2007 उमोप्रो/लेखा/पेंशन दिनांक-05.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

राशिकृत पादिकापत्र

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री आदित्य नाथ बरनवाल

सेवानिवृत्त

अनुयाय अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	मूल्य
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		3815	
(ग)	जन्मतिथि			07.11.2006
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			11.09.1948
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			श्रीमती विश्वमोहिनी
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			08.10.1948
(ख)	तत्समय लामू वेतनमान			30.09.2006
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			छटा वेतनमान
(घ)	वेतन	₹	55270	37400-67000 (8700)
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27635
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		7077
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20558
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर			लामू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16581
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12	तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,42,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		71350
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लामू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लामू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लामू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लामू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		71350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		7077
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		64273
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹		लामू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		42810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लामू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामुप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8267 11132 2006-2007 उमोप्रो/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उमोप्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री आदित्य नाथ बरनवाल, सेवानिवृत्त अनुयाय अधिकारी, पता-15/72, इन्दिरा नगर, लखनऊ।  
को इस आशयसे प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्तकरें।
3. अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उमोप्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9731 दिनांक 06.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क

उमो प्रो लेखाधिकारी (पेंशन) उमो प्रो



उपरोक्त पावर कारपोरेशन लि०

(उपरोक्त पावर कारपोरेशन लि०)

कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ

पता :- 538-के/567/2, त्रिवेनीनगर-तृतीय, लखनऊ

उपरोक्त पावर कारपोरेशन लि०



पत्र सं० 8173 10855 2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ए०एन० शर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण	सेवानिवृत्त	सहायक अभियन्ता,	का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
(क) पेंशन का प्रकार			अधिवर्षता
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	3552	दिनांक	28.04.2006
(ग) जन्मतिथि			01.01.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती शिव दुलारी शर्मा
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			01.07.1950
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (8900)
(घ) वेतन	₹		20,000
(ङ) मूल पेंशन	₹		24295
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		4560
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19735
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		14577
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			66 छमाहियाँ
3 दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			13 तालिका सं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹		1,39,100
4 प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		69550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		69550
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		4650
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जायँ	₹		64900
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		41730
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8173 10855 2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2 श्री ए०एन० शर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता :- 538-के/567/2, त्रिवेनीनगर-तृतीय, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9624 दिनांक 03.03.2019 के अनुसार

- 3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० क० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन बिहारी वर्मा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
को प्रेषित पत्रांक 9624 दिनांक 03.03.2019 के अनुसार  
भुगतान प्राप्त करें।  
शक्ति भवन, लखनऊ-226003  
लेखाधिकारी (पेंशन)



# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 8156

12700

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओम प्रकाश शुक्ला

सेवानिवृत्त

फैरोबाय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5725	दिनांक 18.06.2012
(ग)	जन्मतिथि		10.05.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती उर्मिला शुक्ला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹	20,820
(ङ)	मूल पेंशन	₹	10410
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4164
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	6246
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		10410 दि० 09.05.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	6246
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		6 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	54,000
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	27000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	27000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4164
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	22836
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	27000 दि० 09.05.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	16200
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8156

12700

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री ओम प्रकाश (शुक्ला), सेवानिवृत्त फैरोबाय, पता 448/82, ठाकुरगंज नगरियाँ, लखनऊ-226003

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9641 दिनांक 02.03.2019 के सम्बन्ध में स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक 02.03.2019

02/03/19

लेखाधिकारी (पेंशन)



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited  
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 8155

12699

11-12

उपग्रो/

दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रमू दयाल

सेवानिवृत्त

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5538	दिनांक	23.12.2011
(ग)	जन्मतिथि			06.11.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती मालती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.11.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹		20,150
(ङ)	मूल पेंशन	₹		10075
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹		4030
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		6045
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			10075 दि० 05.11.2016 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		6045
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा			40 छमाहियाँ

## 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)			6 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		52,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		26200
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		26200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		4030
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जाय	₹		22170
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		26200 दि० 05.11.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		15720
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8155

12699

11-12

उपग्रो/

दिनांक-02.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री प्रमू दयाल, सेवानिवृत्त चपरासी, पता 610/427, ई-केशव नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9640 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

2/3/19



उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लि०

(विद्युत वितरण निगम लि०)

U.P. Power Corporation Limited

(विद्युत वितरण निगम लि०)

उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लि०



पत्र सं० 8147 10852 2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 02.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक  
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	विवरण	अधिबर्षता	दिनांक	दिनांक	दिनांक
1.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण				
(क)	पेंशन का प्रकार	अधिबर्षता			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या		3754	दिनांक	25.09.2006
(ग)	जन्मतिथि				14.08.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम				श्रीमती दिनेश शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि				15.02.1951
2.	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि				31.08.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान				पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)				16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹			20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹			24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹			4491
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹			19804
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर				लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹			14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा				65 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-				
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)				13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹			1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन				
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹			69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹			लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹			लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹			69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹			4491
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹			65059
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹			लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹			41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹			लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8147 10852 2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिषद्मॉडल विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

2. श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता :-305 ग्लोबलसोसा विल्डींग न्यति एक्सोर्टिका सोसाइटी, निकट-देहली पब्लिक स्कुल, मोहम्मद बाड़ी, पूर्ण (M.R. Sharma) को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक 9633 दिनांक 03.03.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेवसाइट, उ०म०प्र० कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन बिहारी वर्मा

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी, लखनऊ



उपरोक्त पावर कार्यालय में

(लगाव) संख्या/लेखा/पेंशन

दिनांक



पत्र सं 8107 8291 1999-2000 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 01.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती नीरजा भाटिया पत्नी स्व० राकेश चन्द्र भाटिया सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	926 दिनांक 10.02.2000
(ग)	जन्मतिथि	07.05.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती नीरजा भाटिया
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	28.02.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.01.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000(10000)
(घ)	वेतन	₹ 20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	44 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं 8107 8291 1999-2000 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्गी, अलीगढ़।

2 श्रीमती नीरजा भाटिया पत्नी स्व० राकेश चन्द्र भाटिया सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता :- म० नं०-4/36 न्यू कालोनी, कासिमपुर, अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक 9552 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष कार्यक स्यापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ-1

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पा० कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकारी क० संयंत्र)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited



पत्र सं० 810 10795 2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:- 01.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुषमा रानी पत्नी स्व० प्र० प्र० सिंह सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	विवरण	परिणाम	दिनांक
1.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण		
(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3468	दिनांक 13.03.2006
(ग)	जन्मतिथि		21.12.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुषमा रानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर का जन्मतिथि		28.04.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिनांक तिथि		04.08.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतन		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन पै. (ग्रेड पै.)		18400-22400/37400-67000(10000)
(घ)	वेतन	₹	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	26500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन का दर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन का दर पर	₹	15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हक रोड		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 से प्रारंभिक रूप से वेतन निर्धारण -		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रम का तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के अनुसार दिनांक 01.01.2016 को सेवानिवृत्त		
(क)	मूल पेंशन निर्धारण के अनुसार वेतन के अनुसार	₹	72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हक होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 1.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बावजूद निर्धारित राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है जो अर्हक संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन का दर (पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन का दर (पर)	₹	43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (पर) के अनुसार	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 810 10795 2005-2006 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

2. श्री सुषमा रानी पत्नी स्व० प्र० प्र० सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-ई० 7, एम०डी०ए०, अपार्टमेंट, बेगुमबग, करोली रोड, मेरठ, को इस आशय से पत्र लिखा जायेगा कि यह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक 9553 दिनांक 02.03.2019 के सम्बन्ध में स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन विहारी वर्मा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०प्र० पा० का० लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ



भारतीय विद्युत नियंत्रण आयोग

(विद्युत वितरण) अधिनियम, 1948

विद्युत वितरण निगम (मध्य प्रदेश)

मध्य प्रदेश विद्युत वितरण निगम

मध्य प्रदेश विद्युत वितरण निगम



पत्र सं० 8103 11409 2008-2009 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक- 01.03.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,  
मथुरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री रवि खरे

सेवानिवृत्त

अधिशाली  
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4688	01.12.2009
(ग)	जन्मतिथि		15.12.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती ऊषा खरे
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		14.03.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	69,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹	(1 प्रतिशत दण्ड के पश्चात) ₹ 34467
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11947
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22520
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20889
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,82,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	91350
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	(1 प्रतिशत दण्ड के पश्चात) ₹ 90437/-
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11947
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	78490
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45675
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5 कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 8103 11409 2008-2009 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, मथुरा।
- श्री रवि खरे, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-बी-139, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर।  
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मथुरा को प्रेषित पत्रांक 9548 दिनांक 02.03.2019 के सापेक्ष कार्यकर्म स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/कोषागार, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोज मेहरोत्रा  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ०म०प्र०/कोषागार/लखनऊ





## उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० आरक्षण का समूह)

पत्र सं० (स०) 8083/12728/11-12/उ०प्र०/



पत्र सं०

8083

12728

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 01.03.19

कोषाधिकारी,

कोषागार, मुरादाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार श्रोत्रिय

सेवानिवृत्त

स्टेनोग्राफर

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

## 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	6723	दिनांक	24.02.2015
(ग) जन्मतिथि			02.11.1951
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती किरन श्रोत्रिय
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			06-07-1952
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30-11-11
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			15600-39100 (6600)
(घ) वेतन	₹		38,790
(ङ) मूल पेंशन	₹		19395
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		7758
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		11637
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		11637
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		11 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹		102,500
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		लागू नहीं
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		51250
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		51250
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		7758
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	₹		43492
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		30750
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8083

12728

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मुरादाबाद

2. श्री अशोक कुमार श्रोत्रिय, सेवानिवृत्त स्टेनोग्राफर पता- आवास संख्या ई-207, सुपरटेक पॉमग्रीन, होटल रीजेन्सी के पास, जिला मुरादाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुरादाबाद को प्रेषित पत्रांक 9525 दिनांक- 01.03.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकोरपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

किरन श्रोत्रिय

01.03.19

2019/03/01



# उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो पावर का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(UP Power Corporation Limited)

पेंशन PENSION (नं०) 1122010/1999/50024924



पत्र सं०

8084

12730

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक- 01.03.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विनय किशोर श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

संयुक्त सचिव

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

### 1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता	दिनांक	विवरण
(क)	पेंशन का प्रकार			
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5608	29.02.2012	
(ग)	जन्मतिथि			26.12.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31-12-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹		65,940
(ङ)	मूल पेंशन	₹		32970
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		13188
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		19782
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19782
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ	

### 3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	171,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	85550
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13188
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	72362
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

8084

12730

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री विनय किशोर श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव सेवानिवृत्त पता कृप फ्लाट नं०-08, शंकरपुरी कालोनी सेक्टर-11, इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9526 दिनांक- 01.03.19 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमल कुमार  
लेखाधिकारी (पेंशन)  
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
शक्ति भवन, लखनऊ